

CO:IRD:2024:25:77

Date: 20.06.2024

| | |
|--|---|
| National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Plot No. C/1, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051 Scrip code – CENTRALBK | BSE Limited Corporate Relationship Dept., Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001 Scrip Code – 532885 |
|--|---|

Dear Sir/Madam,

Sub: Notice of 17th (Seventeenth) Annual General Meeting of the Bank.

With reference to captioned subject, we would like to inform that the 17th Annual General Meeting (AGM) of the Bank is scheduled on Tuesday, 16th July, 2024 at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business. The Central office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai-400021 shall be deemed venue of the meeting.

| Sr. No. | Details of Agenda Items |
|---------------------------|--|
| Ordinary Business: | |
| 1. | To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts. |
| Special Business: | |
| 2. | To approve the appointment of Smt. Charulatha S. Kar as RBI Nominee Director on the Board of the Bank. |
| 3. | To approve the appointment of Shri Mahendra Dohare as Executive Director on the Board of the Bank. |
| 4. | To conduct Election of One Director from Shareholders other than the Central Government. |
| 5. | To consider raising of Equity capital aggregate upto Rs.5000 crore through various modes such as QIP/FPO/Rights issue. |

Cut-off / Record date for voting:

Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. **Tuesday, 9th July, 2024**, shall be eligible for voting on **agenda item 1, 2, 3 & 5** and Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. **Friday, 14th June, 2024**, shall be eligible i.e. to Nominate, Contest and Vote on **agenda item 4**. The Last date for submission of nomination forms for election of Shareholder Director is **Monday, 1st July, 2024 by 5.00pm**.

Remote E-voting:

The remote e-voting period begins on **Friday, 12th July, 2024 at 10.00 AM and ends on Monday, 15th July, 2024 at 05.00 PM**. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

Closure of Register of shareholders:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, 10th July, 2024 to Tuesday, 16th July, 2024 (both days inclusive)**.

The copy of 17th Annual General Meeting of Bank is enclosed herewith.

Please take the same on your record.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **CENTRAL BANK OF INDIA**

CHANDRAKANT BHAGWAT
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

नोटिस

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की 17वीं (सत्रवहीं) वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 16 जुलाई, 2024 को सुबह 11.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 (बैठक का डीम्ड स्थल) में स्थित बैंक के केंद्रीय कार्यालय में निम्नलिखित कार्य करने के लिए आयोजित की जाएगी।

साधारण व्यवसाय:-

मद संख्या .1

दिनांक 31 मार्च 2024 को बैंक की लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित बैलेंस शीट, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन और समेकित लाभ और हानि खाते, खातों द्वारा कवर की गई अवधि के लिए बैंक के कामकाज और गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना, अनुमोदित करना और अपनाना।

मद संख्या .2

बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्रीमती चारुलता एस कर की नियुक्ति का अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1 सी) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अपनी अधिसूचना 6/3/2011-BO.I दिनांक 14 जुलाई, 2023 के माध्यम से श्रीमती चारुलता एस. कर को दिनांक 14.07.2023 और अगले आदेश तक, एतद्द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

मद संख्या .3

बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री महेन्द्र दोहरे की नियुक्ति का अनुमोदन।

निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए, तो साधारण संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि समय-समय पर संशोधित सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1सी) और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3)

के खंड (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिक संख्या eF.No.4/1(x)/2023-BO.I के माध्यम से श्री महेन्द्र दोहरे को पद ग्रहण करने की तिथि दिनांक 09.10.2023 से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

मद संख्या .4

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 9 (3) (i) के अनुसार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद “विनियमन अधिनियम” के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद “योजना” के रूप में संदर्भित) और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियमन, 1998 (इसके बाद “विनियमन” के रूप में संदर्भित) सेबी (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन, 2015 (इसके बाद “सेबी सूचीबद्ध विनियमन” के रूप में संदर्भित) आरबीआई मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एपीपीटी. सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 और अधिसूचना संख्या के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चुनाव करना। भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 24 नवंबर, 2016 के डीबीआर.एट.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 (जिसे आगे आरबीआई अधिसूचनाएं कहा जाएगा) और उसमें किए गए आगे के संशोधन, भारत सरकार (जीओआई) के दिनांक 3 सितंबर, 2013 के कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या एफ.सं.16/83/2013-बीओआई और दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के एफ.सं.16/51/2012-बीओ.आई (भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देश) को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशकों के रूप में विचार के लिए जारी दिनांक 08 जुलाई, 2016 के दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जाए (जिसे आगे “जीओआई दिशानिर्देश” कहा जाएगा) और उसमें किए गए आगे के संशोधन, यदि कोई हों, और एक साधारण संकल्प के रूप में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित करना:

“संकल्प लिया गया कि श्री/श्रीमती _____ को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के साथ पठित प्रासंगिक योजना, उसके अंतर्गत बनाए गए विनियमन, भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से निदेशक के रूप में निर्वाचित किया जाता है और उन्हें 17 जुलाई, 2024 से प्रभावी रूप से पदभार ग्रहण करने के लिए बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है और वे 16 जुलाई, 2027 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे।”

चुनाव के बाद, उपरोक्त प्रस्ताव को सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 25 (2ए) के प्रावधानों के तहत पारित माना जाएगा।

मद संख्या . 5

क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू जैसे विभिन्न तरीकों के माध्यम से इक्विटी पूंजी को 5000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने पर विचार करना।

निम्नलिखित संकल्प को संशोधन के साथ या संशोधन के बिना यदि उचित समझा जाए तो विशेष संकल्प के रूप में पारित करने पर विचार करना :

“संकल्प लिया गया कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर संशोधित और भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”), भारत सरकार (“जीओआई”), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (“सेबी”), और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकरण की मंजूरी, सहमति, अनुमति और प्रतिबंधों, यदि कोई हो, के अधीन और ऐसे नियमों, शर्तों और संशोधनों के अधीन, जैसा कि ऐसे अनुमोदन प्रदान करने में उनके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमति हो सकती है और सेबी (पूँजी जारी करना और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम) और सेबी (सूचीबद्धता) विनियम, दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू कानूनों और समय-समय पर सभी अन्य प्रासंगिक प्राधिकरणों के तहत अधिसूचनाएं/परिपत्र और स्पष्टीकरण और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के अधीन, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की सहमति बैंक के निदेशक मंडल (जिसे आगे “बोर्ड” कहा जाएगा) को दी जाती है, जिसमें पूंजी जुटाने वाली समिति शामिल मानी जाएगी, जिसे बोर्ड ने गठित किया है या/पुनर्गठित कर सकता है, इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बनाने, प्रस्ताव करने, जारी करने और आवंटित करने के लिए 10 रुपये (केवल दस रुपये) के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की संख्या 5000 करोड़ रुपये (केवल पांच हजार करोड़ रुपये) (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो) के मूल्य तक इस तरह से कि केंद्र सरकार हर समय बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी का 51% से अन्यून हिस्सा रखेगी, चाहे बाजार मूल्य पर छूट या प्रीमियम पर, एक या एक से अधिक किस्तों में, जिसमें एक या एक से अधिक सदस्य, बैंक के कर्मचारी, भारतीय नागरिक, अनिवासी भारतीय (“एनआरआई”), कंपनियां - निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थान, सोसायटी, ट्रस्ट, अनुसंधान संगठन, योग्य संस्थागत खरीदार (“क्यूआईबी”), विदेशी संस्थागत निवेशक (“एफआईआई”), बैंक, वित्तीय संस्थान, भारतीय म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशक, राज्य औद्योगिक विकास निगम, बीमा कंपनियां, भविष्य निधि, पेंशन फंड, विकास वित्तीय संस्थान या अन्य संस्थाएं, प्राधिकरण या निवेशकों की कोई अन्य श्रेणी शामिल हैं जो मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की इक्विटी/प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए अधिकृत हैं।

या उपरोक्त का कोई संयोजन जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए”

“यह भी प्रस्ताव किया गया कि इस तरह का निर्गम, प्रस्ताव या आवंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट (क्यूआईपी), अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ), राइट्स निर्गम या इनके संयोजन के माध्यम से होगा, जिसमें अति-आबंटन विकल्प के साथ या उसके बिना अर्हता प्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट शामिल है और यह कि इस तरह का प्रस्ताव, निर्गम, प्लेसमेंट और आवंटन बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 (“सेबी आईसीडीआर विनियम”) और आरबीआई, सेबी और किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए सभी अन्य दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा, और ऐसे समय या समयों पर ऐसे तरीके से और ऐसे नियमों और शर्तों पर किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से ठीक समझे”

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि बोर्ड को ऐसे मूल्य या मूल्यों पर ऐसे तरीके से और जहां आवश्यक हो, अग्रणी प्रबंधकों और/या अंडरराइटर्स और/या अन्य सलाहकारों के परामर्श से या अन्यथा ऐसे नियमों और शर्तों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से, सेबी (आईसीडीआर) विनियमों, अन्य विनियमों और किसी भी और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर” तय कर सकता है, चाहे ऐसे निवेशक बैंक के मौजूदा सदस्य हों या नहीं।

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण समझौतों के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 के प्रावधानों, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के प्रावधानों, सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों और संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण या जारी करना) विनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार, और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी), औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य मंत्रालय और अन्य सभी प्राधिकरणों की अपेक्षित मंजूरी, सहमति, अनुमति और/या प्रतिबंधों के अधीन (इसके बाद सामूहिक रूप से “उपयुक्त” के रूप में संदर्भित प्राधिकरण”) और ऐसी शर्तों के अधीन, जैसा कि उनमें से किसी के द्वारा ऐसा कोई अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/या मंजूरी (इसके बाद “अपेक्षित अनुमोदन” के रूप में संदर्भित) प्रदान करते समय निर्धारित किया जा सकता है, बोर्ड अपने पूर्ण विवेक पर, समय-समय पर एक या एक से अधिक किस्तों में इक्विटी शेयर या वारंट के अलावा कोई भी प्रतिभूति जारी, पेश और आवंटित कर सकता है, जो बाद की तारीख में इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या उनके साथ विनियम योग्य हैं, इस तरह से कि केंद्र सरकार किसी भी समय बैंक की इक्विटी शेयर पूंजी का 51%

से कम नहीं रखती है, योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) (जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VIII में परिभाषित किया गया है) को योग्य संस्थान प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के अनुसार, जैसा कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI में प्रदान किया गया है, प्लेसमेंट दस्तावेज और/या ऐसे अन्य दस्तावेजों/लेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से उस समय प्रचलित हो सकता है”

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया है कि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अनुसार एक योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के मामले में:

- ए. प्रतिभूतियों का आवंटन केवल सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय VI के अंतर्गत योग्य संस्थागत खरीदारों को किया जाएगा और ऐसी प्रतिभूतियाँ पूरी तरह से पेडअप होंगी और ऐसी प्रतिभूतियों का आवंटन इस प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से 365 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा.
- बी. सेबी आईसीडीआर विनियमों के विनियमन 176(1) के प्रावधान के अनुसरण में बैंक विनियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य पर पांच प्रतिशत से अधिक की छूट पर शेयरों की पेशकश करने के लिए अधिकृत है.
- सी. प्रतिभूतियों के न्यूनतम मूल्य के निर्धारण की संगत तिथि सेबी आईसीडीआर विनियमों के अनुसार होगी.

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि बोर्ड के पास प्रस्ताव में किसी भी संशोधन को स्वीकार करने का अधिकार और शक्ति होगी, जैसा कि भारत सरकार/आरबीआई/सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा जारी करने, आवंटन और सूचीबद्ध करने के लिए अपनी मंजूरी, सहमति, अनुमति और मंजूरी देते समय और बोर्ड द्वारा सहमति के अनुसार आवश्यक हो या लगाया जा सकता है”

“यह भी संकल्प लिया गया कि एनआरआई, एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नए इक्विटी शेयर/प्रतिभूतियाँ, यदि कोई हों, जारी करना और उनका आवंटन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत आरबीआई के अनुमोदन के अधीन होना चाहिए, जो लागू हो सकता है लेकिन अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमाओं के भीतर होगा.

“यह भी प्रस्ताव किया गया कि जारी किए जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर संशोधित रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के अधीन होंगे और सभी मामलों में बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के हकदार होंगे.”

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के किसी भी निर्गम या आवंटन को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड को सार्वजनिक पेशकश की शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत

किया जाता है, जिसमें उन निवेशकों का वर्ग शामिल है जिन्हें प्रतिभूतियाँ आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे और ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करें तथा ऐसे कर्म, दस्तावेज और करार निष्पादित करें, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित या वांछनीय समझें और सार्वजनिक पेशकश, निर्गम, आवंटन और निर्गम आय के उपयोग के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह को निपटाने के लिए निर्देश दें और नियमों और शर्तों के संबंध में ऐसे संशोधनों, परिवर्तनों, विविधताओं, परिवर्तनों, विलोपनों, परिवर्धनों को स्वीकार करें और प्रभावी करें, जैसा कि वे अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में उचित और उचित समझें,

सदस्यों के किसी भी अतिरिक्त अनुमोदन की आवश्यकता के बिना और यह कि सभी या कोई भी इस प्रस्ताव के तहत बैंक और बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकेगा.

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि बोर्ड को किसी भी बुक रनर, लीड मैनेजर, बैंकर, अंडरराइटर, डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार, ऑडिटर और ऐसी सभी एजेंसियों के साथ सभी व्यवस्थाएं करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जो इक्विटी/सिक्योरिटीज की ऐसी पेशकश में शामिल या संबंधित हो सकती हैं और कमीशन, ब्रोकरेज, फीस या इसी तरह के माध्यम से सभी संस्थानों और एजेंसियों को पारिश्रमिक देने और ऐसी एजेंसियों के साथ सभी व्यवस्थाएं, समझौते, ज्ञापन, दस्तावेज आदि करने और उन्हें निष्पादित करने के लिए भी अधिकृत किया जाता है.”

“इसके अलावा यह भी प्रस्ताव किया गया कि उपरोक्त को प्रभावी करने के उद्देश्य से, बोर्ड, लीड मैनेजर, अंडरराइटर, सलाहकार और/या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों की सलाह से, निर्गम(ओं) के स्वरूप और शर्तों को निर्धारित करने के लिए अधिकृत है, जिसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है, जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियाँ आवंटित की जानी हैं, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जाने वाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण/वारंट के प्रयोग/प्रतिभूतियों के मोचन पर प्रीमियम राशि, ब्याज दर, मोचन अवधि, प्रतिभूतियों के रूपांतरण या मोचन या रद्दीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, प्रतिभूतियों के निर्गम/रूपांतरण पर मूल्य, प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, रूपांतरण की अवधि, रिकॉर्ड तिथि या बुक क्लोजर का निर्धारण और संबंधित या आकस्मिक मामले, भारत और/या विदेश में एक या अधिक स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टिंग, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे.”

“यह भी प्रस्ताव किया गया कि इनमें से ऐसे शेयर/प्रतिभूतियाँ, जो सब्सक्राइब नहीं किए गए हैं, बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से, ऐसे तरीके से निपटाए जा सकते हैं, जैसा कि बोर्ड उचित समझे और जैसा कि कानून द्वारा अनुमत हो.”



“इसके अलावा, यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बोर्ड को ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और वांछनीय समझे और शेररों/ प्रतिभूतियों के निर्गमन के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का निपटारा और इसके अलावा ऐसे सभी कार्य, विलेख, मामले और चीजें करने के लिए अधिकृत किया जाता है, बोर्ड को ऐसे सभी दस्तावेजों और लेखों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिन्हें वह अपने पूर्ण विवेक से उचित, उचित या वांछनीय समझे, शेररधारकों की किसी भी अतिरिक्त सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या अंत और आशय को अधिकृत किए बिना, यह माना जाएगा कि शेररधारकों ने इस प्रस्ताव के अधिकार द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।”

“इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्ताव किया गया कि बोर्ड को इस प्रस्ताव में प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कार्यकारी निदेशकों या ऐसे अन्य अधिकारी या बोर्ड की समिति को सौंपने के लिए अधिकृत किया जाता है, जिसे वह उपरोक्त प्रस्ताव को प्रभावी करने के लिए उपयुक्त समझे।”

निदेशक मण्डल के आदेश से

स्थान: मुंबई

(चंद्रकांत भागवत)

दिनांक: 04 जून, 2024

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

नोट :

- सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसार बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय मद संख्या 2 से 5 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम का आयोजन: दिनांक 25 सितंबर, 2023 के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 के अनुसरण में अन्य प्रासंगिक परिपत्रों के साथ पठित परिपत्र संख्या 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने के लिए जारी परिपत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के अनुसार, बैंक सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से 17वां वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित कर रहा है। इसलिए, सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। वार्षिक आम बैठक का कार्यस्थल बैंक का केंद्रीय कार्यालय माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेरर और मीटिंग) विनियमन, 1998 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार रखता है और प्रॉक्सी को बैंक का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। चूंकि यह एजीएम एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक रूप से उपस्थिति समाप्त कर दी गई है। तदनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा वार्षिक आम बैठक के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रॉक्सी फॉर्म और उपस्थिति पर्ची नोटिस के साथ संलग्न नहीं की गई है।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के शेररधारकों की किसी भी बैठक में किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होने या मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले प्रस्ताव की एक प्रति, जिसे उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो, बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम चार दिन पहले यानी **गुरुवार, 11 जुलाई, 2024 को शाम 5.00 बजे** या उससे पहले बैंक को ई-मेल के माध्यम से investors@centralbank.co.in पर नहीं भेजी गई हो।

5. बैंक का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी किसी शेररधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

6. ईमेल आईडी और बैंक खाता विवरण का पंजीकरण:

(ए) यदि शेररधारक की ईमेल आईडी पहले से ही बैंक/उसके रजिस्ट्रार और शेरर ट्रांसफर एजेंट “आरटीए”/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉग इन विवरण पंजीकृत ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं।

यदि शेररधारक ने अपना ईमेल पता बैंक/उसके आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं किया है या भविष्य में घोषित होने वाले लाभांश की प्राप्ति के लिए बैंक खाता अधिदेश को अपडेट नहीं किया है, तो निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:

(i) कृपया हमारे आरटीए, लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर निवेशक सेवाएं > ईमेल/बैंक विवरण पंजीकरण के अंतर्गत लॉग इन करें - विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और जमा करें।

या

(ii) यदि शेरर डीमैट मोड में रखे गए हैं:

शेररधारक कृपया डिपॉजिटरी प्रतिभागी (“डीपी”) से संपर्क कर सकते हैं और डीपी द्वारा अपनाई गई और बताई गई प्रक्रिया के अनुसार ईमेल पता और बैंक खाते

का विवरण डीमैट खाते में पंजीकृत कर सकते हैं।

(iii) भौतिक शेयरधारकों के लिए: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक (जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है) अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत कर सकते हैं और बैंक के आरटीए के साथ अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें या तो विधिवत भरे हुए आईएसआर-1 फॉर्म की भौतिक प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400 083 पर भेजना होगा या विधिवत भरे हुए आईएसआर-1 फॉर्म की सॉफ्ट कॉपी आवश्यक दस्तावेजों के साथ rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर मेल के माध्यम से भेजनी होगी।

(बी) वार्षिक आम बैठक की सूचना केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते बैंक/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, जब तक कि किसी सदस्य ने एमसीए परिपत्रों और सेबी द्वारा दिनांक 13 मई, 2022 को जारी परिपत्र (संशोधित, यदि हो तो) के अनुसार, इसकी भौतिक प्रति के लिए अनुरोध न किया हो, उपरोक्त सदस्य ध्यान दें कि वार्षिक आम बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर निवेशक संबंध लिंक के तहत, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड पर भी उपलब्ध होगी; सदस्य केवल वीसी/ओएबीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं।

7. पैन, केवाईसी, बैंक विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंड:

सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ एमआईआरएसडी/पीओडी1/ पी / सीआईआर/ 2023/ 37 दिनांक 16 मार्च, 2023 के अनुसार भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों द्वारा अनिवार्य रूप से पैन, केवाईसी विवरण और नामांकन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि भौतिक प्रतिभूतियों के सभी धारक और दावेदार आरटीए को नीचे दिए गए फॉर्म में वैध पैन, केवाईसी विवरण, ईमेल पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण और नामांकन विवरण तुरंत प्रस्तुत करेंगे:

| क्र सं | फॉर्म | उद्देश्य |
|--------|----------------|--|
| 1. | फॉर्म आईएसआर 1 | पैन, केवाईसी विवरण दर्ज करने / अपडेट करने के लिए |
| 2. | फॉर्म आईएसआर 2 | बैंक द्वारा प्रतिभूत धारक के हस्ताक्षर की पुष्टि करने के लिए |
| 3. | फॉर्म आईएसआर 3 | नामांकन को हटाने के लिए घोषणा पत्र |

| क्र सं | फॉर्म | उद्देश्य |
|--------|-----------------|---|
| 4 | फॉर्म एस एच -13 | नामांकन प्रपत्र |
| 5. | फॉर्म एस एच -14 | नामांकन रद्द करना या बदलना (यदि कोई हो) |

उपरोक्त सभी फॉर्म [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] और उक्त सेबी परिपत्र हमारी वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/पीओडी-1/पी/सीआईआर/2023/181 दिनांक 17 नवंबर, 2023 के माध्यम से पैन, केवाईसी एवं नामांकन विवरण न रखने वाले फोलियो को प्रीज करने संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया एमआईआरएसडी है।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि सेबी ने अपने परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी 3 आरटीएमबी/पी/सीआईआर /2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से सूचीबद्ध कंपनियों को सेवा अनुरोधों को संसाधित करते समय केवल डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में प्रतिभूतियाँ जारी करने का निदेश दिया है, जैसे डुप्लिकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करना; अदावाकृत संदिग्ध खातों से दावा, प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीनीकरण/ विनिमय; समर्थन; प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/ विभाजन; प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/ फोलियो का समेकन; संचरण और स्थानांतरण। तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत भरे गए एवं हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-4 जमा करके सेवा ही अनुरोध करें।

8. ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ओडीआर पोर्टल"):

सेबी ने 31 जुलाई 2023 के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ओआईई/ओआईई_आईएडी-1/पी/सीआईआर/2023/131 और दिनांक 4 अगस्त 2023 के सेबी/एचओ/ओआईई/ओआईई/ओआईएडी-1/एफ/सीआईआर/2023/135 के माध्यम से, दिनांक 31 जुलाई 2023 के मास्टर परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/ओआईई/ओआईई आईएडी -1/पी/सीआईआर /2023/145 के साथ पठित (दिनांक 11 अगस्त 2023 तक अद्यतन), भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान हेतु एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल ("ओडीआर पोर्टल") की स्थापना की है। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार, आरटीए/कंपनी के साथ सीधे एवं वर्तमान स्कोर्स बैंक प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायतों को हल करने के विकल्प के समाप्त होने के बाद, निवेशक ओडीआर पोर्टल (<https://smartodr.in/login>) के माध्यम से विवाद समाधान प्रारम्भ कर सकते हैं तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है।



शेयरधारक शेयर/लाभांश से संबंधित जानकारी के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट एवं बैंक से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं :

| | |
|---|--|
| <p>लिनक इनटाइम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (यूनित: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया) पता: सी 101, दूतावास 247, एल.बी.एस.मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई - 400083 मुंबई दूरभाष संख्या 810 811 6767 टोल-फ्री नंबर : 1800 1020 878 ईमेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in वेबसाइट: www.linkintime.co.in</p> | <p>निवेशक संबंध विभाग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पता: केंद्रीय कार्यालय, 09वीं मंजिल, चंद्र मुखी बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021 फोन नंबर: 022 66387575 ईमेल आईडी: investors@centralbank.co.in investors@centralbank.co.in वेबसाइट: www.centralbankofindia.co.in</p> |
|---|--|

9. भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को सूचना:

जैसा कि आप जानते होंगे कि शेयरों का भौतिक रूप में कारोबार नहीं किया जा सकता है और शेयरधारकों को तरलता प्रदान करने के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने शेयरों को डीमैट रूप में परिवर्तित करें. आप डीमैट सेवा प्रदान करने वाली निकटतम बैंक की शाखा में खाता खोलकर अपने शेयरों को डीमैट में परिवर्तित कर सकते हैं. डीमैट सेवाएँ प्रदान करने वाली शाखाओं की सूची बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है. डीमैट रूप में अपनी शेयरधारिता को परिवर्तित करने से कई लाभ जुड़े हैं जैसे नुकसान से बचना, खराब डिलीवरी, तेज़ निपटान, कागज़ रहित व्यापार आदि. इसके अलावा, पते में परिवर्तन, बैंक अधिदेश, नामांकन और लेन-देन के अनुरोध के बारे में सूचनाएँ केवल एक ही स्थान पर दी जानी चाहिए, यानी उस शाखा में जहाँ आप अपना डीमैट खाता खोलते हैं, भले ही आपके पास एक से अधिक बैंक/संस्था के शेयर हों.

10. दावा न किया गया लाभांश, यदि कोई हो:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार, अवैतनिक लाभांश खाते में हस्तांतरण की तिथि से सात वर्ष की अवधि के लिए अवैतनिक या दावा न किए गए लाभांश की राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (IEPF) में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है और उसके बाद बैंक के संबंध में भुगतान के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा. जिन शेयरधारकों के अवैतनिक लाभांश IEPF में स्थानांतरित किए गए हैं, वे www.iepf.gov.in पर उपलब्ध वेब फॉर्म संख्या IEPF-5 में IEPF प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करके इसका दावा कर सकते हैं.

11. शेयरधारकों के रजिस्टर का बंद होना:

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बहीखाते

बुधवार दिन 10 जुलाई, 2024 से मंगलवार दिन, 16 जुलाई, 2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे.

12. मतदान अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा, संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर के संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति को मतदान के संबंध में उसका एकमात्र धारक माना जाएगा. इस प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही एजीएम में भाग लेने का हकदार है) और एजेंडे पर वोट देने का अधिकार रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में वोटिंग के माध्यम से है, यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के अधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है.

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या एजीएम में मतदान के माध्यम से, यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान अधिकार का प्रयोग नहीं किया जाता है.

13. मतदान के लिए कट ऑफ / रिकॉर्ड तिथि:

1. बैंक के शेयरधारक जो कट ऑफ तिथि यानी **मंगलवार, 9 जुलाई, 2024** को भौतिक या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, एजेंडा आइटम 1, 2, 3 और 5 पर मतदान के लिए पात्र होंगे.

और:

2. बैंक के शेयरधारक, जो कट-ऑफ तिथि यानी **शुक्रवार, 14 जून, 2024** को भौतिक या अभौतिक रूप में शेयर रखते हैं, एजेंडा आइटम 4 पर मतदान के लिए पात्र होंगे.

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 (2ई) के तहत प्रतिबंधों के अधीन, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक जो निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि पर शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हैं, बैंक के शेयरधारक निदेशक के चुनाव में वोट देने के हकदार होंगे और उस तिथि तक उनके द्वारा रखे गए प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट होगा. हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि केंद्र सरकार, निदेशक के चुनाव में भाग लेने की हकदार नहीं है, लेकिन पर्यवेक्षक के रूप में एजीएम में भाग ले सकती है.

14. रिमोट ई-वोटिंग:

संशोधित सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44(1) के अनुपालन में, संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पढ़ें और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर

9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुपालन में बैंक, मतदान के वैकल्पिक तरीके के रूप में रिमोट ई-वोटिंग सुविधा की पेशकश करता है, जो सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालने में सक्षम बनाएगा. रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के लिए बैंक द्वारा बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, के साथ आवश्यक व्यवस्था की गई है.

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली मतदान सुविधा के तहत, मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी/डीपी की वेबसाइटों के माध्यम से एकल लॉगिन क्रेडेंशियल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रक्रिया सक्षम की गई है. व्यक्तिगत डीमैट खाताधारक ई-वोटिंग सेवा प्रदाता ("ईएसपी") के साथ फिर से पंजीकरण किए बिना अपना वोट डाल सकेंगे, जिससे न केवल निर्बाध प्रमाणीकरण की सुविधा होगी, बल्कि ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी और सुविधा भी होगी. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीपी के साथ अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें.

रिमोट ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 12 जुलाई, 2024 को सुबह 10.00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 15 जुलाई, 2024 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगी. इसके बाद वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा.

डीमैट मोड/फिजिकल मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग और लॉगिन विधि की प्रक्रिया और निर्देश नीचे दिए गए हैं:

➤ डीमैट मोड/फिजिकल मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन नीचे दिया गया है:-

| शेयरधारकों के प्रकार | लॉगिन प्रक्रिया |
|--|---|
| लॉगिन विधि एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | <ul style="list-style-type: none"> यदि शेयरधारक पहले से ही एनएसडीएल आईडीईएस सुविधा के लिए पंजीकृत है, तो कृपया एनएसडीएल की ई-सेवा वेबसाइट पर जाएँ. या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्न URL टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें: https://eservices.nsdl.com ई-सेवाओं का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" के अंतर्गत "लाभार्थी स्वामी" आइकन पर क्लिक करें जो 'आईडीईएस' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नई स्क्रीन खुलेगी. शेयरधारक को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा. सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे. ई-वोटिंग सेवाओं के अंतर्गत "ई-वोटिंग तक पहुँच" पर क्लिक करें और ई-वोटिंग पृष्ठ देख पाएंगे. बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और शेयरधारक को रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी लिंक इनटाइम वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा. यदि उपयोगकर्ता IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है. "आईडीईएसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें" पोर्टल चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएँ. निम्न URL https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउज़र या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर खोलें: . ई-वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/सदस्य' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नई स्क्रीन खुलेगी. शेयरधारक को अपना यूजर आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए अनुसार एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा. सफल प्रमाणीकरण के बाद, शेयरधारक को एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहाँ वह ई-वोटिंग पेज देख सकता है. <p>क्लिक करें</p> <p>बैंक के नाम या लिंक इनटाइम के नाम पर क्लिक करने पर उसे रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी https://instavote.linkintime.co.in पर रीडायरेक्ट किया जाएगा.</p> |



| शेयरधारकों के प्रकार | लॉगिन प्रक्रिया |
|--|--|
| सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | <p>मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest का विकल्प चुना है, वे अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी अतिरिक्त प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज पर पहुँचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi/Easiest में लॉगिन करने के लिए उपयोगकर्ताओं के लिए URL https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और न्यू सिस्टम Myeasi पर क्लिक करें।</p> <ul style="list-style-type: none"> Easi/Easiest के सफल लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता ई-वोटिंग मेनू भी देख पाएगा। मेनू में ई-वोटिंग सेवा प्रदाता यानी लिंक इनटाइम के लिंक होंगे। अपना वोट डालने के लिए लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें। यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है वैकल्पिक रूप से, www.cdslindia.com होम पेज पर दिए गए लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुँच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई वोटिंग चल रही है |
| व्यक्तिगत शेयरधारक (डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ धारण करने वाले) और अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करने वाले | <ul style="list-style-type: none"> शेयरधारक ई-वोटिंग सुविधा के लिए NSDL/CDSL के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद, शेयरधारक ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के बाद, उसे सफल प्रमाणीकरण के बाद NSDL/CDSL डिपॉजिटरी साइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा, जहां वह ई-वोटिंग सुविधा देख सकता है। बैंक के नाम या लिंक इनटाइम नाम पर क्लिक करें और उसे रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। |
| व्यक्तिगत शेयरधारक जो भौतिक मोड में प्रतिभूतियाँ रखते हैं। | <ol style="list-style-type: none"> इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और यूआरएल लॉन्च करें: https://instavote.linkintime.co.in <ul style="list-style-type: none"> ➤ 'शेयरहोल्डर' टैब के अंतर्गत "साइनअप" पर क्लिक करें और अपने निम्नलिखित विवरणों के साथ रजिस्टर करें: - ए. यूजर आईडी: भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक/सदस्य कंपनी के साथ पंजीकृत इवेंट नंबर + फोलियो नंबर प्रदान करेंगे। बी. पैन: अपना 10 अंकों वाला स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें (जिन सदस्यों ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी)/कंपनी के साथ अपना पैन अपडेट नहीं किया है, वे लागू होने पर आपको दिए गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करेंगे। सी. डीओबी/डीओआई जन्म तिथि (डीओबी)/ निगमन की तिथि (डीओआई) दर्ज करें (जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज है - DD/MM/YYYY प्रारूप में) डी. बैंक खाता संख्या: अपना बैंक खाता संख्या (अंतिम चार अंक) दर्ज करें, जैसा कि आपके डीपी/कंपनी के साथ दर्ज है। <ul style="list-style-type: none"> • शेयरधारक/सदस्य जो भौतिक रूप में शेयर रखते हैं, लेकिन जिन्होंने 'सी' और 'डी' दर्ज नहीं किया है, उन्हें ऊपर 'डी' में अपना फोलियो नंबर देना होगा ➤ अपनी पसंद का पासवर्ड सेट करें (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, कम से कम एक विशेष अक्षर (@!#\$&*), कम से कम एक अंक, कम से कम एक अक्षर और कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए)। ➤ "पुष्टि करें" पर क्लिक करें (आपका पासवर्ड अब तैयार है) <ol style="list-style-type: none"> 'शेयरहोल्डर टैब के अंतर्गत लॉगिन पर क्लिक करें अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और इमेज वेरिफिकेशन (कैप्चा) कोड डालें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। सफल लॉगिन के बाद, आप ई-वोटिंग के लिए अधिसूचना देख पाएंगे। 'यू' आइकन चुनें। ई-वोटिंग पेज दिखाई देगा। |

| शेयरधारकों के प्रकार | लॉगिन प्रक्रिया |
|----------------------|--|
| | <p>6. संकल्प विवरण देखें और अपना पसंदीदा विकल्प 'पक्ष / विपक्ष' चुनकर अपना वोट डालें (यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'संकल्प देखें' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें)।</p> <p>7. वांछित विकल्प यानी पक्ष / विपक्ष चुनने के बाद, 'सबमिट' पर क्लिक करें. एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपना वोट पुष्टि करना चाहते हैं, तो 'हां' पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, 'नहीं' पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.</p> |

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक यदि पासवर्ड भूल गए हैं:

- 'शेयरहोल्डर.टैब के अंतर्गत लॉगिन पर क्लिक करें फिर पासवर्ड भूल गये पर क्लिक करें
- यूजर आई डी प्रविष्ट करें, मोड चुनें और इमेज वेरिफिकेशन कोड (केपचा) प्रविष्ट कर सबमिट पर क्लिक करें.

यदि शेयर धारक के पास वैध ई मेल पता है ,तो पासवर्ड शेयर धारक के पंजीकृत मेल पते पर भेजा जायेगा. अथवा शेयरधारक पूछे जाने वाले सुरक्षा प्रश्नों के उत्तर, जन्मतिथि, /निगमन तिथि , डिविडेंड बैंक विवरण आदि देकर और पुष्टि करके भी अपनी पसंद का पासवर्ड सेट कर सकता है. (पासवर्ड में कम से कम 8 अक्षर, कम से कम एक विशेष अक्षर (@!#\$&*,), कम से कम एक अंक, कम से कम एक अक्षर और कम से कम एक बड़ा अक्षर होना चाहिए).

नोट

भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले व्यक्ति के लिये इस सूचना मे दिये गये संकल्प पर वोटिंग के लिये ही विवरण इस्तेमाल किया जा सकता है.

यह दृढ़ता से अनुशांसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें.

एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक जो पासवर्ड भूल गए हैं:

शेयरधारक/सदस्य जो उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों की वेबसाइट पर उपलब्ध उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल जाएँ विकल्प का उपयोग करें.

□ अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से डालें

- सफल पुनः निर्दिष्ट करने के पश्चात, आप आईएनएसटीए वोट के होम पेज पर ई-वोटिंग के लिए अधिसूचना देख पाएंगे. आप जिस बैंक को आप वोट करना चाहते हैं, उसका "इवेंट नंबर" चुनें/देखें.)
- वोटिंग पेज पर, आपको "संकल्प विवरण" दिखाई देगा तथा उसके सामने वोटिंग के लिए "पक्ष/विपक्ष" विकल्प दिखाई देगा. अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प यानी पक्ष/विपक्ष चुनकर अपना वोट डालें. पक्ष/विपक्ष के अंतर्गत कट-ऑफ तिथि पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या को दर्शाती है) दर्ज करें. आप 'मतदान से परहेज' विकल्प भी चुन सकते हैं और रखे गए शेयरों को पक्ष/विपक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा.)

- यदि आप संपूर्ण संकल्प विवरण देखना चाहते हैं, तो 'रिजॉल्यूशन देखें' फ़ाइल लिंक पर क्लिक करें.)
- अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प अर्थात पक्ष/विपक्ष का चयन करने के पश्चात एवं यदि आपने वोट देने का निर्णय ले लिया है, तो "सबमिट" पर क्लिक करें. तत्पश्चात एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा. यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "हाँ"पर क्लिक करें, अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए, "नहीं"पर क्लिक करें एवं तदनुसार अपना वोट संशोधित करें.)
- एक बार अपना वोट निर्दिष्ट करने के पश्चात, आपको अपना वोट संशोधित करने या बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.)
- आप वोटिंग पेज पर "प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोट का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं.

❖ (संस्थागत शेयरधारकों के लिए दिशानिर्देश)

- संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) एवं कस्टोडियन को <https://instavote.linkintime.co.in> की एलआईआईपीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर लॉग ऑन करना होगा तथा 'कस्टोडियन / म्यूचुअल फंड / कॉर्पोरेट निकाय' के रूप में स्वयं को पंजीकृत करना होगा.

उन्हें बोर्ड के प्रस्ताव / प्राधिकरण पत्र / पावर ऑफ अटॉर्नी आदि की स्कैन की गई प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के साथ विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि (यो) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर को पीडीएफ प्रारूप में 'कस्टोडियन / म्यूचुअल फंड / कॉर्पोरेट बॉडी' लॉगिन में अपलोड करना होगा ताकि जांचकर्ता उसका सत्यापन कर सकें.

❖ सभी शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- मतदान अवधि के दौरान, शेयरधारक किसी विशेष "घटना" के लिए संकल्प पर मतदान करने तक कितनी भी बार लॉगिन कर सकते हैं.
- एक से अधिक फोलियो/डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारकों को प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करना होगा.
- डीमैट माध्यम में प्रतिभूतियाँ रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क: यदि डीमैट मोड में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों/सदस्यों को डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल/सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन करने से संबंधित कोई तकनीकी समस्या है, तो वे नीचे दिए गए संबंधित हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं:)



| लॉगिन प्रकार | हेल्पडेस्क विवरण |
|---|--|
| एनएसडीएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं। |
| सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक | लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022-23058738 या 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं। |

- यदि शेयरधारकों/भौतिक रूप में प्रतिभूतियां रखने वाले सदस्यों/संस्थागत शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो कृपया सहायता अनुभाग के अंतर्गत <https://instavote.linkintime.co.in> पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" ("एफएक्यू") और इंस्टावोट ई-वोटिंग मैनुअल देखें या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल लिखें या हमें कॉल करें:- टेलीफोन: 022 - 49186000.
- कोई भी व्यक्ति जो ई-मेल द्वारा बैठक की सूचना भेजने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि अर्थात दिनांक मंगलवार, 09 जून, 2024 तक शेयर धारण करता है, वह ऊपर बताए गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।
- इस नोटिस की एक प्रति बैंक की वेबसाइट तथा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर भी रखी गई है।

15. रिमोट ई-वोटिंग/ बैठक में वोटिंग पर संविक्षक:

- एस. एन. अनंतसुब्रमण्यम एंड कंपनी, कंपनी सचिव, ठाणे को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए संविक्षक नियुक्त किया गया है।

16. रिमोट इवोटिंग एवं बैठक में वोटिंग के परिणाम:

- संविक्षक ई-वोटिंग अवधि के समापन से दो कार्य दिवस (2) कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर कम से कम दो (2) गवाहों की उपस्थिति में (जो बैंक में कार्यरत न हों) वोटों को अनब्लॉक करेगा तथा पक्ष में या विपक्ष में डाले गए वोटों की संविक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, तुरंत अध्यक्ष को देगा
- घोषित परिणाम, संविक्षक की रिपोर्ट के साथ, बैंक की वार्षिक आम बैठक में प्रस्ताव पारित होने के दो कार्य दिवस (2) दिवस के भीतर बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in तथा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे तथा बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित कर दिए जाएंगे।

17. बैठक का परिणाम:

प्रस्ताव के पक्ष में अपेक्षित संख्या में मत प्राप्त होने पर, वार्षिक आम बैठक की तिथि को बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में प्रस्ताव पारित माना जाएगा।

18. बैठक की रिकार्ड की गई प्रतिलिपि/कार्यवाही:

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित वार्षिक आम बैठक की कार्यवाही बैंक की वेबसाइट www.centralbankofindia.co.in पर निवेशक संबंध अनुभाग के अंतर्गत यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जाएगी।

19. ई-वोटिंग तथा वार्षिक आम बैठक में शामिल होने के निर्देश निम्नानुसार हैं:

(क) शेयरधारकों/सदस्यों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के निर्देशः)

शेयरधारक/सदस्य निम्न उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के हकदार हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में शामिल होने की सुविधा वार्षिक आम बैठक के लिए निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खुलेगी तथा यह सदस्यों हेतु पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी।

शेयरधारकों/सदस्यों से अनुरोध है कि वे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भाग लें क्योंकि वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से भागीदारी सीमित है तथा वार्षिक आम बैठक के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट की समाप्ति पर बंद हो जाएगी। 2% से अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक/सदस्य, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, के.एम.पी., लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और लेखा परीक्षक आदि को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है। सदस्य बैठक के निर्धारित समय से 15 (पंद्रह) मिनट पहले लॉग इन करके शामिल हो सकते हैं तथा शामिल होने के लिए विंडो निर्धारित समय के 15 (पंद्रह) मिनट बाद तक खुली रखी जाएगी। भागीदारी केवल 2500 सदस्यों तक ही सीमित है।

शेयरधारकों/सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए इंस्टामीट सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें शेयरधारक/सदस्य अपना विवरण पंजीकृत करेंगे और निम्नानुसार वार्षिक आम बैठक में भाग लेंगे:

- इंटरनेट ब्राउज़र खोलें और InstaMeet <<<https://instameet.linkintime.co.in>>> का URL लॉन्च करें "लॉगिन" पर क्लिक करें, "कंपनी" और "ईवेंट तिथि" चुनें और अपने निम्नलिखित विवरण के साथ पंजीकरण करें:
 - डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या लाभार्थी आईडी या फोलियो नंबर: बैंक में पंजीकृत अपनी 16 अंकों की डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी या लाभार्थी आईडी या फोलियो नंबर दर्ज करें।
 - पैन: अपनी 10 अंकों की स्थायी खाता संख्या (पैन) दर्ज करें।
 - मोबाइल नंबर.
 - ईमेल आईडी.
- "मीटिंग पर जाएं" पर क्लिक करें (अब आप इंस्टामीट के लिए पंजीकृत हैं, और आपकी उपस्थिति मीटिंग के लिए

चिह्नित है)

नोट:

शेयरधारकों/सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए ब्रॉडबैंड से जुड़े टैबलेट/लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

शेयरधारकों/सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए अच्छी गति (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड) के साथ इंटरनेट का उपयोग करना आवश्यक है।

कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले शेयरधारक/सदस्य अपने नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/विजुअल कमी का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए किसी भी तरह की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

यदि शेयरधारकों/सदस्यों को ई-वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या हो तो वे instameet@linkintime.co.in पर ईमेल लिख सकते हैं या टेलीफोन नंबर 022-4918 6175 पर कॉल कर सकते हैं।

(ख) सदस्यों/सदस्यों के लिए वार्षिक आम बैठक के दौरान स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत करने के निर्देश:

शेयरधारक/सदस्य जो बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए ई-मेल: investors@centralbank.co.in पर 03 जुलाई, 2024 को सुबह 10.00 बजे से 11 जुलाई, 2024 को शाम 5.00 बजे तक अपना अनुरोध भेजकर वक्ता के रूप में खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।

बैठक के दौरान केवल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वक्ताओं को ही अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

शेयरधारकों को बैठक में उपस्थिति दर्ज करने के बाद "स्पीकिंग सीरियल नंबर" प्राप्त होगा। अन्य शेयरधारक बैठक के दौरान सक्रिय चैट-बोर्ड के माध्यम से पैनलिस्ट से प्रश्न पूछ सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे स्पीकिंग सीरियल नंबर याद रखें और डिवाइस के वीडियो मोड और ऑडियो को चालू करके पैनलिस्ट से बातचीत शुरू करें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे तभी बोलें जब बैठक के मॉडरेटर/प्रबंधन बोलने के लिए नाम और सीरियल नंबर की घोषणा करेंगे।

जो शेयरधारक/सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना नाम, डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बताते हुए अपना प्रश्न पहले ही ई-मेल: investors@centralbank.co.in पर भेज सकते हैं। बैंक द्वारा उनका उचित उत्तर दिया जाएगा।

नोट:

जिन शेयरधारकों/सदस्यों ने खुद को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें ही बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी। बैंक वार्षिक आम बैठक के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

शेयरधारकों/सदस्यों को कैमरा का उपयोग करने की अनुमति देनी चाहिए तथा बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए उन्हें अच्छी गति (अधिमानत: 2 एमबीपीएस डाउनलोड स्पीड) के साथ इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए।

(ग) वार्षिक आम बैठक के दौरान इंस्टामीट के माध्यम से मतदान करने के लिए शेयरधारकों/सदस्यों के लिए निर्देश:

जब बैठक के दौरान संवीक्षक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सक्रिय कर दी जाती है, तो शेयरधारक/सदस्य जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग नहीं किया है, वे निम्नानुसार वोट डाल सकते हैं:

- शेयरहोल्डर्स वीसी पेज पर, ई-वोटिंग के लिए लिंक "अपनावोट डालें" पर क्लिक करें।
- इंस्टामीट के लिए पंजीकरण के दौरान प्राप्त डीमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या और ओटीपी (पंजीकृत मोबाइल नंबर/पंजीकृत ईमेल आईडी पर प्राप्त) दर्ज करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
- सफल लॉगिन के बाद, आपको "रिजॉल्यूशन विवरण" दिखाई देगा और उसी के सामने वोटिंग के लिए "पक्ष/विपक्ष" विकल्प दिखाई देगा।
- अपनी इच्छानुसार उपयुक्त विकल्प यानी "पक्ष/विपक्ष" का चयन करके अपना वोट डालें। "पक्ष/विपक्ष" के अंतर्गत कट-ऑफ तिथि पर शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या दर्शाती है) दर्ज करें।
- जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि करते हैं, तो आपको बाद में अपने वोट को संशोधित करने या बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नोट:

शेयरधारक/सदस्य, जो इंस्टामीट सुविधा द्वारा वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में उपस्थित होंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं डाला है और वे इस हेतु अपात्र नहीं हैं, वे बैठक के दौरान ई-वोटिंग सुविधा के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

जिन शेयरधारकों/सदस्यों ने वार्षिक आम बैठक से पहले रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे इंस्टामीट के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे हालांकि, वे बैठक के दौरान फिर से मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या के लिए शेयरधारक/सदस्य instameet@linkintime.co.in पर ईमेल या 022-4918 6175 पर कॉल कर सकते हैं।

व्याख्यात्मक विवरण

कार्य सूची मद संख्या. 2

बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में श्रीमती चारुलता एस कर की नियुक्ति को अनुमोदन.

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (सी) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अपनी अधिसूचना 6/3/2011-BO. I दिनांक 14 जुलाई, 2023 के माध्यम से श्रीमती चारुलता एस. कर को दिनांक 14.07.2023 से अगले आदेश तक बैंक के बोर्ड द्वारा आरबीआई नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया है.

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसरण में, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए. तदनुसार, बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामित निदेशक के रूप में सुश्री चारुलता एस कर की नियुक्ति हेतु वार्षिक आम बैठक में शेरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है.

आम बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में सुश्री चारुलता एस कर का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

| | |
|--|--|
| नाम | सुश्री चारुलता एस कर |
| डीआईएन | लागू नहीं |
| आयु | 57 |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| नियुक्ति की तिथि | 14 जुलाई, 2023 |
| शैक्षणिक योग्यता | बीकॉम, ट्रेजरी एवं फॉरेक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय | सुश्री चारुलता एस कर ने मुंबई विश्वविद्यालय से बैंकिंग और वित्त में विशेषज्ञता के साथ वाणिज्य में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की है. उन्होंने आईसीएफएआई, त्रिपुरा से ट्रेजरी और फॉरेक्स प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है. वह आईआईबीएडएफ की प्रमाणित एसोसिएट भी हैं. |
| | आरबीआई के नेतृत्व और कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम के रूप में उन्होंने द व्हाटर्स स्कूल पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका से उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम भी पूरा किया है. |
| | उन्होंने वर्ष 1991 में आरबीआई में एक अधिकारी के रूप में कार्यग्रहण किया तथा अहमदाबाद, चेन्नई और मुंबई में आरबीआई के विभिन्न क्षेत्रीय और केन्द्रीय कार्यालयों में कार्य किया. वह वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय सुरक्षा प्रकोष्ठ विभाग (आरबीआई) के मानव संसाधन विभाग की प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक हैं. |
| | उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सरकारी बैंकिंग, आंतरिक वित्तीय खाते, सूचना प्रौद्योगिकी और भुगतान एवं निपटान प्रणाली शामिल हैं. वह पांच वर्षों से अधिक समय तक चेन्नई में आरबीआई ट्रेनिंग कॉलेज में संकाय सदस्य रही हैं. वह दो वर्षों तक मस्कट में सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान के प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर भी रही हैं. |
| | उन्होंने भुगतान और निपटान प्रणाली, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स पर समिति के अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूहों में आरबीआई का प्रतिनिधित्व किया है, जिसने खुदरा भुगतान में नवोन्मेष, खुदरा भुगतान में गैर-बैंकों की भूमिका और त्वरित भुगतान पर रिपोर्ट का अध्ययन एवं प्रकाशन किया है. उन्होंने आरबीआई का एक वक्ता और विशेषज्ञ के रूप में कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मंचों/संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के रूप में भी प्रतिनिधित्व किया है. |
| अन्य कंपनियों जिसमें निदेशक के पद पर कार्यरत हों. | शून्य |
| अन्य कंपनियों की समितियों जिसकी सदस्यता / अध्यक्षता हो | शून्य |

निदेशकों के बीच पारस्परिक रूप से संबंधों का कोई संबंध नहीं प्रकटीकरण

सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में शून्य इस्तीफा दे दिया है

अन्य विवरणों जैसे वर्ष के दौरान भाग लेने वाली बैठकों की संख्या, धारित इक्विटी शेयरों की संख्या और निदेशक द्वारा आहारित पारिश्रमिक आदि के लिए कृपया एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखें।

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है।

बैंक के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखता है।

कार्य सूची मद संख्या. 3

बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री महेन्द्र दोहरे की नियुक्ति का अनुमोदन.

बैंकिंग कारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिक संख्या eF.No.4/1(x)/2023-BO.1 दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 के माध्यम से श्री महेन्द्र दोहरे को पद ग्रहण करने की तिथि दिनांक 09.10.2023 से तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17(1सी) के अनुसरण में, बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि निदेशक मंडल में या प्रबंधक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन अगली आम बैठक में लिया जाए। तदनुसार, बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री महेन्द्र दोहरे की नियुक्ति हेतु वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों का अनुमोदन आवश्यक है।

आम बैठकों पर सचिवीय मानक संख्या 2 के पैरा 1.2.5 के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के संदर्भ में श्री महेन्द्र दोहरे का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

| | |
|--|---|
| नाम | श्री महेन्द्र दोहरे |
| डीआईएन | 09406117 |
| आयु | 53 |
| राष्ट्रीयता | भारतीय |
| नियुक्ति की तिथि | 09 अक्टूबर 2023 |
| शैक्षणिक योग्यता | बैंकिंग एवं वित्त में एमबीए |
| विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय | श्री महेन्द्र दोहरे को दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। |

श्री महेन्द्र दोहरे विपणन एवं वित्त में एमबीए हैं। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के प्रमाणित एसोसिएट हैं। उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा एवं आईआईबीएफ से विभिन्न प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए हैं। वे नेट क्वालिफाइड भी हैं। पंजाब नेशनल बैंक में अपनी अंतिम पदस्थापना में वे व्यवसाय अधिग्रहण और संबंध प्रबंधन विभाग के प्रमुख थे।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉर्पोरेशन बैंक में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में की और इसके पश्चात यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में चले गए, जिसका पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया गया। उन्हें 24 वर्षों से अधिक का समृद्ध बैंकिंग अनुभव है। पंजाब नेशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में, उन्होंने व्यवसाय के संचालन हेतु एक एकीकृत खुदरा प्रभाग (व्यवसाय अधिग्रहण और संबंध प्रबंधन) स्थापित करने में अग्रणी एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उन्होंने पीएनबी कार्ड एंड सर्विसेज लिमिटेड तथा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में भी कार्य किया है।

अन्य कंपनियों जिसमें निदेशक के पद पर कार्यरत हों. शून्य

अन्य कंपनियों की समितियां जिसकी सदस्यता / शून्य
अध्यक्षता हो

निदेशकों के बीच पारस्परिक रूप से संबंधों का कोई संबंध नहीं
प्रकटीकरण

सूचीबद्ध संस्थाएं जिनसे निदेशक ने पिछले तीन वर्षों में शून्य
इस्तीफा दे दिया है

अन्य विवरणों जैसे वर्ष के दौरान भाग लेने वाली बैठकों की संख्या, धारित इक्विटी शेयरों की संख्या और निदेशक द्वारा आहरित पारिश्रमिक आदि के लिए कृपया वार्षिक रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट देखें.

निदेशक मंडल नोटिस में उल्लिखित सामान्य प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता है.

बैंक के निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों में से कोई भी बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प में रुचि या संबंध नहीं रखता है.

कार्य सूची मद संख्या. 4

एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

- बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, जहां धारा 3 की उपधारा 2बी का खंड (ग) के तहत जारी पूंजी बैंक की कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से कम है, बैंक के बोर्ड में शेयरधारकों द्वारा अपने बीच से केन्द्र सरकार के अलावा विधिवत निर्वाचित एक निदेशक होना चाहिए.
- उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, केन्द्र सरकार के अतिरिक्त, बैंक शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक हेतु पात्र है. वर्तमान में, बैंक के बोर्ड में एक शेयरधारक निदेशक है. बैंक के शेयरधारक निदेशक, श्री दिनेश पांगती का कार्यकाल दिनांक 30 जून, 2024 को समाप्त होगा.
- बोर्ड ने दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में दिनांक 01 जुलाई, 2024 को निर्मित होने वाली बैंक के बोर्ड में एक शेयरधारक निदेशक की रिक्ति को चुनाव द्वारा भरने की अनुमति दी है.
- केन्द्र सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न एवं प्रासंगिक अधिनियमों/ योजनाओं/ विनियमों/ अधिसूचना/ निर्देशों में दी गई प्रक्रिया के अनुसार शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) अपने नामांकन भेजने हेतु पात्र हैं. विधिवत सभी प्रकार से भरी हुई उम्मीदवारी का नामांकन प्राप्त होने पर, बोर्ड / निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा नामांकन की जांच पूरी की जाएगी.

वैधानिक प्रावधान

निम्नलिखित तालिका इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियमों/ विनियमों/ अधिसूचनाओं में निहित प्रावधानों को दर्शाती है:

| अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचनाएं | प्रावधान | संक्षिप्त विवरण |
|-------------------------------------|---|---|
| बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 | धारा 5 धारा 16 (1) धारा 20 धारा 51 | <ul style="list-style-type: none"> पर्याप्त ब्याज. सामान्य निदेशकों का निषेध. इसके किसी भी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण अथवा अग्रिम देने के लिए प्रतिबंध. संबंधित नए बैंक हेतु अधिनियम की कुछ धाराओं की प्रयोज्यता. |

| अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचनाएं | प्रावधान | संक्षिप्त विवरण |
|---|--|--|
| बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 | धारा 3 (2ई) धारा 9 (3) (i) धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) धारा 9 (3एए) धारा 9 (3एबी) धारा 9 (3बी) धारा 13 (2) | <ul style="list-style-type: none"> मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध. शेयरधारकों द्वारा चयनित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या. कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान. कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि उसका ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मानदंडों के अनूकूल न हो. भारतीय रिज़र्व बैंक उपधारा (3एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में उपयुक्त एवं उचित स्थिति अवधारित करने का प्राधिकार, ऐसे निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा ऐसे अन्य मामलों को भी विनिर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें आवश्यक या आनुषंगिक समझा जाए. भारतीय रिज़र्व बैंक को इस प्रकार चुने गए निदेशक को हटाने का अधिकार होगा जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) तथा 9(3एए) की शर्तों को पूरा नहीं करता है. निष्ठा एवं गोपनीयता के रूप में दायित्व. |
| राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 | खंड 9(4) खण्ड 10 खण्ड 11 खण्ड 11क खण्ड 11ख खण्ड 12(8) | <ul style="list-style-type: none"> निर्वाचित निदेशकों की कार्यावधि बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्यता. निदेशकों के कार्यालय की रिक्ति निर्वाचित निदेशक के कार्यालय से हटाया जाना निर्वाचित निदेशक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति को भरना कुछ व्यवस्थाओं में निदेशकों द्वारा रुचि का प्रकटीकरण जिसमें वे रुचि रखते हैं |
| सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 | विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70 | <ul style="list-style-type: none"> संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग सामान्य बैठकों में मतदान सामान्य बैठकों में चयनित किए जाने वाले निदेशक शेयरधारकों की सूची चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन नामांकन पत्रों की जांच चुनावी विवाद मतदान के अधिकारों का निर्धारण विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान प्रॉक्सी |
| आरबीआई, मास्टर डायरेक्शन डीबीआर.एपीपीटी 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 यथा संशोधित. | बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3एए) और धारा 9 (3एबी) के अनुसरण में | <ul style="list-style-type: none"> राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक हेतु उपयुक्त एवं उचित मानदंड |

| अधिनियम/योजना/विनियम/ अधिसूचनाएं | प्रावधान | संक्षिप्त विवरण |
|---|----------|---|
| पत्र दिनांक 3 सितंबर 2013 संदर्भ संख्या 16/83/2013-बीओ.आई के माध्यम से. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी एवं केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशक (एनओडी) के रूप में विचारार्थ दिनांक 25 मार्च, 2015 को जारी किए गए मानदंड को भारत सरकार के पत्र एफ संख्या 16/51/2012-बीओ के साथ पठित. दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 और उसके बाद के संशोधन, यदि कोई हो | | सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विचारार्थ गैर-सरकारी निदेशक (एनओडी) हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड |
| आरबीआई मास्टर परिपत्र डीबीआर. संख्या डीआईआर. बीसी .10/13.03.00/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 यथा संशोधित | | निदेशकों के सम्बंधियों को ऋण और अग्रिम प्रदान करना |
| सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 | | स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान |

शेयरधारकों की सुविधाओं हेतु, अधिनियमों, विनियमन अधिनियम, योजना/ विनियमों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक मास्टर निदेश डीबीआर.एपीपीटी.सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019 एवं भारत सरकार के दिनांक 25 मार्च 2015 एवं 20 जुलाई 2016 के दिशानिर्देशों से सम्बंधित तथ्यों को बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.centralbankofindia.co.in पर अपलोड किया जाएगा जिन्हें उपयोगकर्ता द्वारा देखा/ डाउनलोड किया जा सकता है. ये तथ्य इच्छुक उम्मीदवारों को कंपनी सचिव, सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के मुख्यालय investors@centralbank.co.in पर नामांकन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् **सोमवार, दिनांक 01 जुलाई, 2024 को शाम 5:00 बजे तक ई-मेल से भेजे जाएंगे.**

चुनाव में भागीदारी:

वे शेयरधारक जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा विनिर्दिष्ट/ कट ऑफ़ तिथि अर्थात् शुक्रवार, दिनांक 14 जून, 2024 को प्रस्तुत शेयरधारकों/ हितग्राहियों के रजिस्टर में प्रदर्शित होते हैं, वे केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव में भाग लेने हेतु पात्र होंगे. यह ध्यान देने योग्य है कि, केन्द्र सरकार एजेंडा संख्या 4 अर्थात् निदेशक के चुनाव में भाग लेने का पात्र नहीं है, लेकिन एक पर्यवेक्षक के रूप में वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकती है.

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु आवश्यक योग्यता:

उम्मीदवार अधिनियम की धारा 9 (3ए) में निर्धारित योग्यता का पालन

करेगा और योजना के खंड 10 में निर्दिष्ट अयोग्यता मान्य नहीं होंगी और विनियमों के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगा, जिनका विस्तृत विवरण निम्न है:

- (ए) अधिनियम की धारा 9 (3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक और बैंक का निदेशक बनने हेतु इच्छुक उम्मीदवार -
- (ए) निम्नलिखित मामलों में से एक या अधिक के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, -
 - i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
 - ii) बैंकिंग,
 - iii) सहयोग,
 - iv) अर्थशास्त्र,
 - v) वित्त,
 - vi) नियम,
 - vii) लघु उद्योग,
 - viii) कोई अन्य मामला विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार, बैंक के लिए उपयोगी है; (भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10-11-2008 के अपने परिपत्र सं डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं.39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 के माध्यम से विशेषज्ञता क्षेत्रों को निम्नलिखित में शामिल करने हेतु विस्तारित किया है (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव

संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन, उन व्यक्तियों के लिए जो बैंकों में निदेशक की नियुक्ति के लिए पात्र है)

(बी) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करना; अथवा

(सी) किसानों, श्रमिकों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करना

(बी) अधिनियम की धारा 9(3ए) और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार, बैंक का शेरधारक होने और बैंक का निदेशक बनने हेतु नामांकन दर्ज करने हेतु, उम्मीदवार का ट्रैक रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित ऐसे अन्य मानदंडों पर 'उपयुक्त और उचित' प्रकार से पात्र होना चाहिए.

(सी) इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशक को अनुबंध विलेख निष्पादित करना चाहिए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करना आवश्यक है.

• **बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने से अयोग्यता**

(ए) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य होगा-

(ए) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने भुगतान निलंबित कर दिया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो; या

(बी) यदि उसे मानसिक रूप से विकृत पाया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है; या

(सी) यदि उस पर किसी समय किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से संबंधित अपराध का आरोप लगाया गया हो; या

(डी) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक के अंतर्गत पूर्णकालिक निदेशक के पद के अलावा लाभ का कोई पद धारण करता है, धारण करने जिनमें बैंक के कर्मचारियों में से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत नामित प्रबंध निदेशक और निदेशक शामिल हैं

एवं

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना - आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निर्देश डीबीआर.एपीपीटी सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त 2019, यथा संशोधित और भारत सरकार के दिशानिर्देश सं. एफ.सं.16/51/2012- बीओ.आई. दिनांक 28 अप्रैल 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 3 सितंबर 2013 के साथ पठित के अनुसार, यदि वह निदेशक मंडल की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा 9उपयुक्त और उचित" व्यक्ति नहीं पाया जाता है

• **प्रतियोगियों के लिए शेरधारकों की सूची**

बैंक के शेरधारकों की शुक्रवार, दिनांक 14 जून, 2024 तक की एक सूची मंगलवार, दिनांक 18 जून, 2024 से बैंक के शेरधारकों के लिए उपलब्ध होगी, जो मुंबई में देय "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा ₹ 50,000/- (रुपये पचास हजार रुपये मात्र) के भुगतान पर सहायक महाप्रबंधक - कंपनी सचिव सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 को संबोधित अनुरोध के साथ उपलब्ध होगी. यह इस वचनबद्धता के साथ उपलब्ध होगी कि सूची का उपयोग केवल चुनाव प्रचार के लिए किया जाएगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार शेरधारकों की सूची का निरीक्षण भी कर सकते हैं और वहां से उद्धरण ले सकते हैं.

शेरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेरधारकों का रजिस्टर निरीक्षण हेतु बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच (दूसरे और चौथे शनिवार और बैंक की छुट्टियों को छोड़कर) उपलब्ध रहेगा. यदि किसी शेरधारक को रजिस्टर या उसके भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होती है, तो उसे 1000 शब्दों या उसके आंशिक भाग के लिए 5/- रुपये की दर से पूर्व भुगतान पर आपूर्ति कराई जाएगी.

• **चुनाव में भागीदारी:**

वह शेरधारक जिनके नाम शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2024 को एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारा प्रस्तुत सदस्यों/ लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में हैं वे केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेरधारकों में से निदेशक के चुनाव में भाग लेने यानी नामांकन, चुनाव लड़ने तथा मतदान करने के हकदार होंगे.

• **नामांकन:**

नामांकन की वैधता

विनियमों के विनियम 65 के संदर्भ में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 की अधिसूचना के संदर्भ में, मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर. एअपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02 अगस्त, 2019, यथा संशोधित तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधान के अनुसार, निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा, बशर्ते :

(क) चुनाव में लाग लेने हेतु शेर धारक के पास दिनांक 14 जून, 2024 के निर्दिष्ट तिथि तक बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेर होने चाहिए.

(ख) दिनांक सोमवार, 01 जुलाई 2024 (नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि) तक, वह अधिनियम, योजना या आरबीआई अधिसूचना के तहत निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं होना चाहिए.

(ग) नामांकन लिखित रूप में होना चाहिए, जिसे कम से कम बैंक के पास सौ पात्र शेरधारकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो. यदि शेरधारक कंपनी है तो निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन



किया जा सकता है और उसे बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति बैंक के केन्द्रीय कार्यालय को सहायक महाप्रबंधक - कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 9वीं मंजिल, चन्द्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 के पते पर भेजी जानी चाहिए तथा इस कंपनी की ओर से इस प्रति को नामांकन माना जायेगा।

- (घ) बैंक के शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन के साथ इस नोटिस में प्रस्तुत नामांकन और घोषणा के नमूना प्रपत्रों के अनुसार, उम्मीदवार द्वारा एक घोषणा संलग्न है जो न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है, कि वह नामांकन स्वीकार कर चुनाव लड़ने हेतु तैयार है, और वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम या अधिनियम या योजना या विनियमन या आरबीआई अधिसूचना के तहत निदेशक के लिए अपात्र नहीं है साथ ही उसके व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) जो विधिवत हस्ताक्षरित और यह पुष्टि करते हुए कि ऐसे विवरण उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और साथ ही घोषणा के बाद, सूचना के लिए प्रासंगिक ऐसी घटनाओं के बारे में बैंक को पूरी तरह जल्द से जल्द सूचित करने का उसका वचन पत्र संलग्न है।
- (ड) नामांकन फार्म और घोषणा फार्म विनियमों द्वारा निर्धारित तथा संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हैं।

नामांकन फॉर्म जमा करना

निदेशकों का चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा

- क) विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र
- ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम 100 बैंक के शेयरधारकों से नामांकन
- ग) व्यक्तिगत जानकारी, संबंधित दस्तावेजों के साथ घोषणा और वचनबद्धता, इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूपों में प्रशंसापत्र, जैसे कि बायोडाटा, शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र, अनुभव आदि को एक सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर "सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक का चुनाव - जुलाई 2024" लिखकर सहायक महाप्रबंधक - कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021 को पंजीकृत डाक /कोरियर द्वारा बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पहले एक कार्य दिवस पर, यानी सोमवार, दिनांक 1 जुलाई, 2024 को शाम 5.00 बजे बैंक के बंद होने के समय तक या उससे पहले जमा करना होगा।

नामांकनों की जांच और निदेशकों का चुनाव

- क) नामांकनों की जांच नामांकन प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि के अगले कार्य दिवस, मंगलवार, दिनांक 2 जुलाई, 2024 को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

ख) नामांकनों की जांच आरबीआई/भारत सरकार और अन्य लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार, बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति/निदेशक मंडल द्वारा भी की जाएगी, चूंकि आरबीआई के निर्देश और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध समान प्रकृति के हैं, इसलिए बैंक उम्मीदवारों की उचित स्थिति एवं उपयुक्तता का निर्धारण करते समय दोनों में से अधिक कठोर मानदंड पर विचार कर सकता है।

ग) बैंक नामांकन की जांच के समय या बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति / निदेशक मंडल की सलाह के अनुसार उम्मीदवारों से उनकी उम्मीदवारी के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज मांग सकता है।

घ) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन है, तो इस प्रकार नामित उम्मीदवार को बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 9(3)(i) के साथ सेबी लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 25(2ए) के अनुसार एजीएम में प्रस्ताव के माध्यम से प्रस्तावित किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार के अलावा केवल शेयरधारक ही वोट देने के हकदार होंगे। उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा, यदि और केवल उक्त प्रस्ताव बहुमत से पारित हो जाता है। नव निर्वाचित निदेशक गुरुवार, दिनांक 17 जुलाई, 2024 से पदभार ग्रहण करेंगे और इस ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पूरी होने तक पद पर बने रहेंगे।

ड) यदि वैध नामांकन एक से अधिक हैं, तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे और चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम वार्षिक सामान्य बैठक के अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जाएंगे और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जाएंगे। बैंक के निदेशक के रूप में चयनित उम्मीदवार दिनांक 17 जुलाई, 2024 को पदभार ग्रहण करेंगे।

च) यदि कोई विवाद हो तो उसका निपटारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैंक) विनियम, 1998 के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा।

नामांकन वापसी

यदि कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 2024 को शाम 4:00 बजे बैंक के बंद होने से पहले किसी भी समय सहायक महाप्रबंधक - कंपनी सचिव, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केन्द्रीय कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई 400 021, को संबोधित हस्ताक्षरित पत्र भेजकर या हस्ताक्षरित पत्र की सॉफ्ट कॉपी agmcompsec@centralbank.co.in / boardsecretary@centralbank.co.in पर भेजकर ऐसा कर सकता है।

निदेशकों का हित

बैंक के किसी भी निदेशक /मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति को बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर उपरोक्त संकल्प में रुचि या सरोकार नहीं है।

मद सं. 5

क्यूआईपी /एफपीओ/ राइट्स जैसे विभिन्न तरीकों से ₹ 5000/-करोड़ तक की इक्विटी पूंजी को जुटाने पर विचार करना

बेसल III विनियम के अनुसार, बैंक को इक्विटी पूंजी के रूप में न्यूनतम सामान्य इक्विटी टियर-1 (सीईटी 1) 5.50% अनुपात के साथ पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) 2.50%, टीयर 1 अनुपात 9.50% का और कुल सीआरएआर 11.50% बनाए रखना आवश्यक है. निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) पूरा करने हेतु बैंक को पूंजी आवश्यकता होगी. दिनांक 31 मार्च, 2024 के अनुसार बैंक का सीआरएआर 15.08% (टियर I - 12.46% (सीसीबी शामिल है), टियर II - 2.62%) है.

10%-12% व्यवसाय प्रक्षेपण में की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2024-25 में स्वस्थ सीआरएआर को बनाए रखने और बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बढ़ाने के लिए, बैंक ने विभिन्न माध्यमों जैसे क्यूआईपी/एफपीओ/राइट्स इश्यू के द्वारा इक्विटी पूंजी को ₹5000 करोड़ तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. बैंक द्वारा इन विकल्पों का प्रयोग आवश्यकता और प्रचलित बाजार स्थितियों पर आधारित होगा.

उक्त इक्विटी पूंजी भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और ऐसे बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण और उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में निर्धारित अन्य प्राधिकरणों से उचित अनुमोदन के साथ और सेबी के उपयुक्त दिशा निर्देशों/ विनियमों के अधीन जुटाई जाएगी.

निदेशक मंडल ने दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से रु. 5000 करोड़ तक की पूंजी जुटाने को अपनी स्वीकृति दे दी थी.

दिनांक 31 मार्च 2024 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 15.08% है. वर्तमान में बैंक की अधिकृत पूंजी 10000 करोड़ रुपये है. दिनांक 31 मार्च, 2024 तक बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी रु 8680.93 करोड़ है.

बढ़ी हुई पूंजी का उपयोग बैंक के सामान्य व्यवसाय प्रयोजनों के लिए किया जाएगा.

विशेष प्रस्ताव ऐसे समय या समयों पर ऐसे मूल्य या मूल्यों पर, और ऐसे निवेशकों के लिए जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे एक या अधिक किशतों में इक्विटी शेयर जारी करने के लिए बोर्ड को शक्तियाँ देने का प्रयास करता है. इक्विटी शेयर जारी करने के लिए विस्तृत नियम व शर्तें बोर्ड द्वारा मर्चेंट बैंकरों, लीड मैनेजरों, सलाहकारों और ऐसे अन्य अधिकारियों की सलाह से निर्धारित की जाएगी, जिन्हें बैंक द्वारा विद्यमान बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है.

अर्हता प्राप्त संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से पूर्वोक्त अनुसार इक्विटी शेयरों के निर्गमन को स्थिति में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि :

- इक्विटी शेयरों के मूल्य निर्धारण के प्रयोजन के लिए प्रासंगिक तिथि सेबी(आईसीडीआर) विनियमों के अध्याय न और / या अन्य लागू विनियमों के अनुसार बैठक की तारीख होगी, जिसमें बोर्ड या उसकी पूंजी जुटाने वाली समिति सदस्यों के अनुमोदन और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, की प्राप्ति के बाद इक्विटी शेयरों के प्रस्तावित निर्गम को खोलने का निर्णय लेती है, जो प्रस्तावित इक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में अधिनियम और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों में से कोई है.
- चूंकि प्रस्ताव का मूल्य बाद के चरण को छोड़कर तय नहीं किया जा सकता है, इसलिए जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमत बताना संभव नहीं है, हालांकि यह सेबी आईसीडीआर विनियमों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 समय समय पर संशोधित प्रावधानों को या किसी अन्य दिशानिर्देशों/ विनियमों / सहमति के अनुसार होगा जो लागू हो या आवश्यक हो .
- पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों का निर्गमन और आवंटन केवल सेबी (आईसीडीआर) के अर्थ के अंतर्गत योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईपी) को किया जाएगा और आवंटन उपर्युक्त संकल्प के पारित होने की तिथि से 365 दिन के भीतर पूर्ण किया जाएगा.
- प्रस्ताव के लिए विस्तृत नियम और शर्तें सलाहकारों, लीड प्रबंधकों और अंडरराइटर और ऐसे अन्य प्राधिकरण या प्राधिकरणों की सलाह से निर्धारित की जाएगी, जो विद्यमान बाजार स्थितियों और अन्य नियामक आवश्यकताओं पर विचार कर सकते हैं.
- प्रतिभूतियों के निर्गमन की शर्तों के अनुसार अधिक आवंटन सहित जुटाई गई कुल राशि पिछले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार बैंक की निवल संपत्ति के 5 गुना से अधिक नहीं होगी.
- योग्य संस्थान प्लेसमेंट के अंतर्गत आवंटित पात्र प्रतिभूतियों को आवंटन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए आवंटितता द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को छोड़कर नहीं बेचा जाएगा.
- बैंक, इसके प्रवर्तक या निदेशक कोई भगोडा आर्थिक अपराधी नहीं है.
- आवंटित इक्विटी शेयर लाभांश सहित बैंक के विद्यमान इक्विटी शेयरों के साथ सभी मामलों में समान होंगे.

निदेशक मंडल सूचना में उल्लेखित विशेष संकल्प को पारित करने की अनुशंसा करता है.

बैंक के निदेशकों /प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को बैंक में अपनी शेयरधारिता की सीमा को छोड़कर उपर्युक्त प्रस्तावों में रुचि या सरोकार नहीं है.

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

दिनांक: 04 जून, 2024

स्थान: मुंबई

(चंद्रकांत भागवत)

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी



घोषणा

(आवेदक द्वारा)

(विनियमन के विनियम 65 का संदर्भ ले)

मैं, श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती _____, जो निवास _____ में रहता हूँ, एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि:

- ए. मैं एक शेयरधारक हूँ जिसके पास फोलियो संख्या _____/डीपी आईडी संख्या _____/क्लाइंट आईडी संख्या _____ के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 10/- रुपये प्रत्येक मूल्य के _____ इक्विटी शेयर (पूरी तरह से चुकता) हैं, जो शुक्रवारदिनांक 14 जून 2024 को चुनावों में भाग लेने के लिए कट-ऑफ/निर्दिष्ट तिथि है और
- बी. मेरे पास *(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारिता, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) कानून, (vii) लघु उद्योग, या कोई अन्य मामला जिसमें आईटी/भुगतान और निपटान प्रणाली/मानव संसाधन/जोखिम प्रबंधन/व्यवसाय प्रबंधन आदि का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा और मैं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 ए के संदर्भ में जमाकर्ताओं/किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके सबूत के तौर पर मैं संबंधित प्रशासपत्र प्रस्तुत करता हूँ, और
- सी. मैं _____ से _____ तक क्रमांकित नामांकन स्वीकार करता हूँ, और
- डी. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक का चुनाव लड़ने को इच्छुक हूँ, और
- ई. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998, आरबीआई अधिसूचनाएं और इस संबंध में जारी भारत सरकार के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के तहत में बैंक का निदेशक होने के लिये अयोग्य नहीं हूँ.
- एफ. मैं न तो कोई लाभ का पद धारण करता हूँ और न ही मैं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ.
- जी. मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद पर बने रहने तक संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ; तथा
- एच. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत अयोग्य नहीं हूँ; और
- आई. मैं इस घोषणा के बाद होने वाली घटनाओं, यदि कोई हों, के बारे में बैंक को पूरी तरह से यथाशीघ्र सूचित करने का वचन देता हूँ जो यहां दी गई जानकारी के लिये प्रासंगिक हैं, और बैंक के निदेशक के रूप में मेरे निर्वाचन पर संविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ और
- जे. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि:
- मुझे कभी भी दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या मैंने भुगतान निलंबित नहीं किया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता नहीं किया है; तथा
 - मुझे मानसिक रूप से विकृत नहीं पाया गया है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा, ऐसा घोषित किया गया है तथा मुझे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक पतन शामिल हो; तथा
 - मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है; और
 - मैं निर्वाचित होने पर बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध, यदि कोई हो, तुरन्त समाप्त कर दूंगा तथा निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान तथा उसके बाद दो वर्ष की अवधि तक बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रखूंगा; तथा
 - मैं किसी भी बैंक या रिजर्व बैंक या किसी वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक में हिस्सेदारी रखने वाले एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं हूँ.
 - मैंने किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में छह वर्षों तक निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया है, चाहे वह लगातार हो या बीच-बीच में.
 - मैं स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं हूँ.
 - मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र

परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद आदि) के सदस्य का पद धारण नहीं कर रहा हूँ.

- ix. मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ, जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है.
- x. मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ, जो वर्तमान में सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है.
- xi. मेरा न तो सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई व्यावसायिक संबंध है (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) और न ही मैं ऐसी गतिविधियों में शामिल हूँ, जिससे सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है.
- xii. मेरा किसी बैंक या किसी अन्य बैंक में स्वामित्व रखने वाले किसी एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है तथा यदि मैं निर्वाचित होता हूँ तो निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले बैंक के साथ संबंध समाप्त करने का वचन देता हूँ.
- xiii. मैं किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अंतर्गत नहीं हूँ और मैं किसी भी ऋणदाता संस्थान का चूककर्ता नहीं हूँ.

के. मैं निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले अनुबंध विलेख (आरबीआई परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने का वचन देता हूँ;

एल. मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद पर बने रहने तक संशोधित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता हूँ;

एम. मैं वचन देता हूँ कि मैं इस घोषणा के बाद घटित होने वाली घटनाओं, यदि कोई हों, जो यहां दी गई सूचना के लिए प्रासंगिक हैं, के बारे में बैंक को यथाशीघ्र पूर्ण रूप से सूचित करूंगा तथा बैंक के निदेशक के रूप में मेरेनिर्वाचन पर संविदा विलेख निष्पादित करूंगा; तथा

एन. मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी का विवरण संलग्न कर रहा हूँ जो मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सभी प्रकार से सत्य और पूर्ण है.

| | |
|--|--|
| नाम | |
| हस्ताक्षर | |
| शेयरों की संख्या | |
| पंजीकृत फोलियो नं. (यदि डीमैटरियलाइज्ड नहीं है) | |
| डीपी आईडी नं. और क्लाइंट आईडी नं. (यदि डीमैटरियलाइज्ड हो) | |
| जगह | |
| तारीख | |

उपरोक्त घोषणापत्र पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये गये थे.

मुहर सहित हस्ताक्षर और _____

सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम _____

यह घोषणा नामित व्यक्ति द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए.

* जो भी लागू हो उसे टिक करें



नामांकन फार्म

(शेयरधारक द्वारा)

(विनियमन के विनियम 65 (डी) का संदर्भ ले)

क्र. सं

प्रति,
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
केंद्रीय कार्यालय,
चंद्रमुखी, नरीमन पॉइंट,
मुंबई 400021

प्रिय महोदय,

निदेशक के चुनाव के लिए नामांकन

आपके दिनांक _____ 2024 के नोटिस के संदर्भ में, मैं, श्री/श्रीमती _____ सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयरधारक हूँ, जिसके पास शुक्रवार, 14 जून, 2024 को चुनाव में भाग लेने के उद्देश्य से कट-ऑफ/निर्दिष्ट तारीख के अनुसार रु. 10/- प्रत्येक (पूरी तरह से चुकता) के _____ इक्विटी शेयर हैं। इसके द्वारा श्री/श्रीमती _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती _____ जो _____

में रहते हैं, को बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करते हुए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए नामित करता हूँ, जैसा कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) में प्रावधान है, शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में मंगलवार, 16 जुलाई, 2024 को आयोजित की जाएगी।

| | |
|--|--|
| हस्ताक्षर | |
| नाम | |
| धारित शेयरों की संख्या | |
| पंजीकृत फोलियो नं. (यदि डीमैटरियलाइज्ड नहीं है) | |
| डीपी आईडी नं. और क्लाइंट आईडी नं. (यदि डीमैटरियलाइज्ड हो) | |
| स्थान | |
| तारीख | |

टिप्पणियाँ :

- यदि नामांकन किसी निगमित निकाय द्वारा किया जाता है, तो नामांकन प्रपत्र के साथ उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि, संलग्न होनी चाहिए, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था,
- उम्मीदवार को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मेल खाने चाहिए.
- यदि उपरोक्त में से कोई भी कॉलम रिक्त रह जाता है या विवरण गलत पाया जाता है तो नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा

यहां स्वप्रमाणित
पासपोर्ट
साइज फोटो लगाएं

व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचन देने का प्रारूप
उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनबद्धता, यथा उपयुक्त संलग्नकों के साथ _____ 2024 तक

1. उम्मीदवार का व्यक्तिगत विवरण

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)

| पहला नाम | मध्य नाम | उपनाम |
|----------|----------|-------|
| | | |

2. पिता का नाम (पूरा नामों)

3. लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)

4. वर्तमान पता
(पत्राचार के लिए)

5. ई-मेल पता एवं वैकल्पिक ई-मेल पते:
एसटीडी कोड सहित टेलीफोन नंबर:
मोबाइल नंबर:

6. राष्ट्रियता

7. जन्म तिथि (दिन /माह /वर्ष) और आयु

8. शैक्षणिक योग्यता

9. निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)

10. आधार संख्या

11. a) स्थायी खाता संख्या (पैन).
b) आयकर सर्किल/डिवीजन का नाम और पता जहां व्यक्तिगत कर रिटर्न दाखिल किया जा रहा है.
c) पिछले तीन वर्षों के रिटर्न दाखिल करने और कर भुगतान का विवरण.

| दाखिल करने की तिथि | भुगतान की गई कर राशि (भारतीय रुपये में) |
|--------------------|---|
| | |
| | |
| | |

12. स्थायी पता

13. लेखाशास्त्र, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, विधि, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन या किसी अन्य विषय में से एक या एक से अधिक के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर संक्षिप्त जानकारी के रूप में विवरण, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंकिंग जगत हेतु उपयोगी होगा.

14. वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम तथा अनुभव पर संक्षिप्त विवरण)

15. पिछले व्यवसाय का विवरण, (कम से कम पिछले दस वर्षों का) जिसमें कार्य किए गए संगठन का पूरा पता, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्यमुक्त होने की तिथि (कारण सहित), पदनाम आदि.



16. यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो निम्नलिखित का उल्लेख करें:
क) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्या:
ख) आईसीएआई के साथ पंजीकरण की तिथि:
ग) पंजीकृत फर्म/फर्मों का नाम और पता:
घ) फर्म/फर्मों द्वारा या आपके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे लेखापरीक्षण का विवरण:

17. उस बैंकर का नाम, शाखा तथा खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाते) सहित, जहां आप प्राथमिक खाताधारक हैं:

| बैंक का नाम | शाखा | खाता प्रकार | खाता संख्या |
|-------------|------|-------------|-------------|
| | | | |

18. यदि आपके पास, आपके पति/पत्नी तथा आपके नाबालिग बच्चे के पास किसी संस्था में भौतिक या अभौतिक रूप में शेयरधारिता है, तो उसका विवरण. (डीमैट/शेयरधारिता प्रमाणपत्र संलग्न करें)

19. बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी:

II. प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध

20. किसी बैंक के साथ जुड़े रिश्तेदारों की सूची, [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) और कंपनी (परिभाषा विनिर्देश) नियम, 2014 के नियम 4 का संदर्भ लें] यदि कोई हो

21. संस्थाओं की सूची जिसमें:
क) हितबद्ध [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें]:
ख) लाभकारी स्वामित्व [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियम देखें]:
ग) ट्रस्टी (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):

22. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5(एनई) के अर्थ के अंतर्गत पर्याप्त हित रखने वाली मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची.

| | |
|--|--|
| कंपनी/फर्म का नाम | |
| इसके निगमन का देश | |
| शेयर की संख्या | |
| प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य | |
| शेयर होल्डिंग का कुल अंकित मूल्य | |
| कुल पूंजी में शेयरधारिता का प्रतिशत | |
| लाभकारी हित (मूल्य और प्रतिशत दोनों में) | |
| क्या इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत धारा 8 की कंपनी है. | |

23. विदेश में निगमित तथा भारत में व्यवसाय करने वाली संस्थाओं में हिस्सेदारी का विवरण.

24. बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का नाम जिसमें वर्तमान में या पूर्व में कोई बोर्ड का सदस्य/सलाहकार आदि रहा हो (उस अवधि का विवरण दें जिसके दौरान ऐसा पद धारण किया गया था).

25. किसी इकाई के साथ किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में संलग्न होने पर उसका विवरण (संबद्धता की प्रकृति का उल्लेख किया जाए), तो उसका ब्यौरा.

26. यदि स्टॉक ब्रोकर है या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में संलग्न किसी संस्था से जुड़े हैं, तो उसका विवरण.

27. यदि किसी निधि और गैर-निधि आधारित सुविधाओं का वर्तमान में व्यक्ति द्वारा और/या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा लाभ उठाया गया है तो उसका विवरण.

28. ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां व्यक्तिगत रूप से या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त ऋण सुविधाओं के संबंध में अतीत में चूक की हो या जानबूझकर चूककर्ता घोषित किया हो.

III. व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकार्ड

29. निदेशक पद के लिए प्रासंगिक व्यावसायिक उपलब्धियाँ.

IV. प्रस्तावित निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो

30. क) किसी व्यावसायिक एसोसिएशन/निकाय के सदस्य के रूप में, यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित हो या शुरू हुई हो या अतीत में दोषसिद्धि हुई हो या किसी भी समय किसी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया हो, तो उसका विवरण.
ख) यदि किसी व्यक्तिगत व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप है, तो उसका विवरण.
31. आर्थिक कानूनों तथा विनियमों के उल्लंघन के लिए स्वयं या ऊपर (21) से (26) में सूचीबद्ध संस्थाओं के विरुद्ध लंबित या शुरू किए गए या दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो.
32. लंबित या प्रारम्भ या दोषसिद्धि हुई आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो,
33. यदि एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया है, तो उसका विवरण.
34. यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत कोई अयोग्यता आती है, तो उसका विवरण दें.
35. यदि दिवालिया घोषित कर दिया गया है या भुगतान निलम्बित कर दिया है या लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है, तो उसका विवरण.
36. यदि वह अस्वस्थ मानसिक स्थिति का पाया जाता है तथा सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है, तो उसका विवरण.
37. क) यदि किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें नैतिक अधमता या अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण
(ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया हो तो उसका विवरण क्या है?
38. यदि आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर किसी लाभ के पद पर हैं, तो उसका विवरण दीजिए.
39. यदि कोई व्यक्ति या उपरोक्त (21) से (26) तक की कोई संस्था किसी पूर्व नियोक्ता या सरकारी विभाग या एजेंसी से किसी जांच/सतर्कता/जांच के मामलों के अधीन रही है, तो उसका विवरण दें.
40. यदि सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो उसका विवरण.
41. यदि किसी विनियामक जैसे सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, व्यावसायिक संगठन, सरकारी एजेंसी या न्यायालय द्वारा व्यावसायिक आचरण या गतिविधियों के कारण फटकार, निंदा, प्रतिबंध, निलंबन, प्रतिबंध, निषेध या अन्यथा स्वीकृति दी गई हो, तो उसका विवरण दें. (यद्यपि अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह कॉलम में उन आदेशों और निष्कर्षों के बारे में उल्लेख करे जिन्हें बाद में पूर्णतः उलट दिया गया/रद्द कर दिया गया हो, लेकिन यदि उलटने/रद्द करने का कारण तकनीकी कारण जैसे सीमा या अधिकार क्षेत्र का अभाव हो और गुण-दोष के आधार पर न हो, तो उसका उल्लेख करना आवश्यक होगा. यदि आदेश अस्थायी रूप से स्थगित है और अपीलीय/न्यायालय की कार्यवाही लंबित है, तो उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए).



V. सामान्य जानकारी

42. यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता आदि जैसे पेशेवर हैं और वर्तमान में किसी बैंक में कोई पेशेवर कार्य कर रहे हैं/कर चुके हैं, तो कृपया बैंक का नाम और बैंक के साथ संबद्धता की अवधि सहित विवरण प्रदान करें.
43. यदि वर्तमान में सांसद/ विधायक/ विधान परिषद के सदस्य हैं या किसी नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकाय में राजनीतिक पद धारण करते हैं, तो इसका विवरण दें
- VI. प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित में, यदि "उपयुक्त और उचित" का आकलन करने के लिए कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी हो, तो उसका विवरण प्रदान करें.

वचनबद्धता

मैं, श्री का पुत्र/पुत्री पुष्टि करता / करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है. मैं बैंक को यह सूचित रखने का वचन देता/देती हूँ कि शोयरधारक निदेशक के रूप में चुने जाने के बाद होने वाली सभी घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र सूचित करूंगा/करुंगी, जो उपर दी गई जानकारी के संदर्भ में प्रासंगिक है.

मैं बैंक के निदेशकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले वचन पत्र पर हस्ताक्षर करने का भी वचन देता हूँ.

स्थान :

दिनांक :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

संलग्नक :

- नोट :
1. जहां भी स्थान पर्याप्त न हो, कृपया सूचना को कालानुक्रमिक क्रम में तथा उचित प्रति संदर्भ के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें.
 2. सभी पृष्ठों (अनुलग्नकों सहित) पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है.

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति/निदेशक मंडल की टिप्पणियां:

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति / निदेशक मंडल के अक्षयक्ष हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

NOTICE

Notice is hereby given that the **17th (Seventeen) Annual General Meeting (AGM)** of the Shareholders of Central Bank of India will be held on Tuesday, 16th July, 2024 at 11.00 A.M. (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) at Central Office of the Bank situated at Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 (deemed venue of the meeting) to transact the following business:

Ordinary Business:-

Item No.1

To discuss, approve and adopt the Audited Standalone and the Consolidated Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2024, Standalone and Consolidated Profit and Loss Account of the Bank for the year ended 31st March 2024, the report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the accounts and the Auditors' report on the Balance Sheet and Accounts.

Special Business:-

Item No.2

To approve the appointment of Smt. Charulatha S. Kar as RBI Nominee Director on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, appointment of Smt. Charulatha S. Kar, as RBI Nominee Director of the Bank under clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with sub-paragraph (1) of paragraph 3 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, vide Notification No. eF.No.6/3/2011-BO. I dated 14th July, 2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 14th July, 2023 and until further orders, be and is hereby approved."

Item No.3

To approve the appointment of Shri Mahendra Dohare as Executive Director on the Board of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following Resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to Regulation 17 (1C) and other applicable provisions of SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended from time to time, the appointment of Shri Mahendra Dohare as Executive Director of the Bank under clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 vide Notification No. eF.No.4/1(x)/2023-BO. I dated 09th October 2023 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India w.e.f. 09th October, 2023 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier be and is hereby approved."

Item No.4

Election of ONE Shareholder Director.

To elect **ONE** Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations as prescribed have been received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "Regulation Act"), The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Central Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 1998 and (hereinafter referred to as the "Regulations"), The SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (herein after referred to as the "SEBI Listing Regulations") and RBI Master Direction DBR.Appt.No.:9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and Notification no. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'RBI Notifications') and further amendments thereto, Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated September 3, 2013 from Government of India (GOI) and F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 (the extant Govt. of India guidelines) read with Guidelines dated July 08, 2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines") and further amendments, if any, made thereto and to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT Shri/ Smt. _____ elected as Director from amongst Shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, Regulations made thereunder, Reserve Bank of India Notification and Government of India Guidelines, be and is hereby appointed as a Director of the Bank to assume office with effect from 17th July, 2024 and shall hold the office for a term of three years till 16th July, 2027."

Upon election, the aforesaid Resolution shall also be considered to be passed under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

Item No.5

To consider raising of Equity capital aggregate upto Rs.5000 crore through various modes such as QIP/FPO/ Rights issue.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following Resolution as **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 as amended from time to time and subject to the approvals, consents, permissions and sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India ("GOI"), the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), and/or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (SEBI ICDR Regulations) and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations) as amended up to date, guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/ circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into, with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "Board") which term shall be deemed to include Capital Raising Committee which the Board have constituted or/may re-constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document / prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of face value of Rs.10 (Rupees Ten only) upto the value of Rs.5000 crore (Rupees Five Thousand Crore Only) (including premium, if any) in such a way that the Central Government shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more

of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians ("NRIs"), Companies - private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organizations, Qualified Institutional Buyers ("QIBs"), Foreign Institutional Investors ("FIIs"), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/ securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of Qualified Institutions Placements (QIPs), follow-on-Public Issue (FPO), Rights issue or in combination thereof, including Qualified Institutions Placements with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of SEBI ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 as amended, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Foreign Investment Promotion Board (FIPB),

Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Share Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter VIII of the SEBI ICDR Regulations) pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time"

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations:

- A. The allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations & such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of passing of this resolution.
- B. The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of the SEBI ICDR Regulations is authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the Regulations.
- C. The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to, by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion,

fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director and Chief Executive Officer or Executive Director(s) or such other officer(s) of the Bank or a Committee of Board as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Date: 04th June, 2024
Place: Mumbai

(Chandrakant Bhagwat)
Company Secretary &
Compliance Officer

NOTES:

1. The Explanatory Statement pursuant to SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015 setting out the material facts in respect of the **Business Item Nos.2 to 5** to be transacted at the meeting is annexed hereto.
2. **HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM):**

Pursuant to General Circular No.09/2023 dated 25th September, 2023 read with other relevant Circulars including Circular No.10/2022 dated 28th December,

2022, General Circular No.20/2020 dated 05th May, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and circular dated 7th October, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) for holding the AGM through VC / OAVM, the Bank is convening the 17th Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members. Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM only. The Central Office of Bank shall be deemed to be the venue of the AGM.

3. APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to the provisions of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, a Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote on his/her behalf and the proxy need not be a Member of the Bank. Since this AGM is being held through VC/OAVM pursuant to the MCA and SEBI Circulars, physical attendance of Members has been dispensed with. Accordingly, the facility for appointment of proxies by the Members will not be available for the Annual General Meeting and hence the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to the Notice.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at any meeting of the Shareholders of Central Bank of India as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the chairman of the meeting at which it was passed, has been sent to the Bank through e-mail at investors@centralbank.co.in not less than four days before the date fixed for the meeting i.e. **on or before 5.00 PM on Thursday, 11th July, 2024.**

5. No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

6. Registration of email ID and Bank Account details:

- (a) In case the Shareholder's email ID is already registered with the Bank/its Registrar & Share Transfer Agent "RTA"/Depositories, log in details for e-voting are being sent on the registered email address.

In case, the shareholder has not registered his/her/their email address with the Bank/its RTA/ Depositories or not updated the Bank Account mandate for receipt of dividend if declared in future, the following instructions are to be followed:

- (i) Kindly log in to the website of our RTA, Link Intime India Private Ltd., www.linkintime.co.in under Investor Services > Email/ Bank detail Registration - fill in the details and upload the required documents and submit.

OR

- (ii) In the case of Shares are held in Demat mode:

The Shareholder may please contact the Depository Participant ("DP") and register the email address and bank account details in the demat account as per the process followed and advised by the DP.

- (iii) For Physical Shareholders: Shareholders holding shares in physical form, (whose email ids are not registered) can register their email id and update their Bank account details with Bank's RTA by sending either physical copy of duly filled-in ISR-1 form alongwith requisite documents to Link Intime India Pvt. Ltd , C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 or soft copy of duly filled-in ISR-1 form alongwith requisite documents through mail at rnt.helpdesk@linkintime.co.in

- (b) The Notice of the Annual General Meeting is being sent only by electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Bank/ Depositories, unless any Member has requested for a physical copy of the same, in accordance with the aforesaid MCA Circulars and circular issued by SEBI. Members may note that the Notice of Annual General Meeting will also be available on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in under the link investor relations; websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited. Members can attend and participate in the Annual General Meeting through VC/OAVM facility only.

7. Norms for furnishing of PAN, KYC, Bank details and Nomination:

SEBI vide its circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/ CIR/2023/70 dated May 17, 2023 has instructed to mandatorily furnish PAN, KYC details and Nomination by holders of physical securities. Accordingly, it is once again reiterated that all holders and claimants of physical securities shall furnish valid PAN, KYC details, email address, mobile number, Bank account details and nomination details immediately in the below mentioned forms to the RTA:

| S.No | Form | Purpose |
|------|------------|---|
| 1. | Form ISR-1 | To register/update PAN, KYC details |
| 2. | Form ISR-2 | To Confirm Signature of securities holder by the Bank |
| 3. | Form ISR-3 | Declaration Form for opting-out of Nomination |
| 4. | Form SH-13 | Nomination Form |
| 5. | Form SH-14 | Cancellation or Variation of Nomination (if any) |

All above Forms [ISR-1, ISR-2, ISR-3, SH-13, SH-14] and the said SEBI circular are available on our website www.centralbankofindia.co.in under Investor Relations section.

Further, SEBI vide its circular no. SEBI/HO/MIRSD/POD-1/P/ CIR/2023/181 dated November 17, 2023, has done away with the provision regarding freezing of folios not having PAN, KYC, and Nomination details.

Members may please note that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 has mandated the Listed Companies to issue securities in dematerialized form only while processing service requests viz. Issue of duplicate securities certificate; claim from unclaimed suspense account, renewal/exchange of securities certificate; endorsement; sub-division/splitting of securities certificate; consolidation of securities certificates/folios; transmission and transposition. Accordingly, Members are requested to make service requests by submitting a duly filled and signed Form ISR – 4.

8. Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal"):

SEBI vide Circular Nos. SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/ CIR/2023/131 dated July 31, 2023, and SEBI/HO/OIAE/OIAE_IAD-1/P/CIR/2023/135 dated August 4, 2023, read with Master Circular No. SEBI/HO/ OIAE/OIAE_IAD-1/P/ CIR/2023/145 dated July 31, 2023 (updated as on August 11, 2023), has established a common Online Dispute Resolution Portal ("ODR Portal") for resolution of disputes arising in the Indian Securities Market. Pursuant to above-mentioned circulars, post exhausting the option to resolve their grievances with the RTA/ Bank directly and through existing SCORES platform, the investors can initiate dispute resolution through the ODR Portal (<https://smartodr.in/login>) and the same can also be accessed through the Bank's website www.centralbankofindia.co.in

Shareholders can contact Registrar and Transfer Agent and Bank for share/ dividend related information at following address:

| | |
|---|--|
| <p>Link Intime Service Private Limited (Unit: Central Bank of India) Address: C 101, Embassy 247, L.B.S.Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400083 Mumbai Tel no. 810 811 6767 Toll-free number : 1800 1020 878 Email ID: rnt.helpdesk@linkintime.co.in Website: www.linkintime.co.in</p> | <p>Investor Relations Department Central Bank of India Address: Central Office, 09th Floor, Chander Mukhi Building, Nariman Point, Mumbai 400021 Tel no. 022 66387575 Email ID: smird@centralbank.co.in/ investors@centralbank.co.in Website: www.centralbankofindia.co.in</p> |
|---|--|

9. Intimation to shareholders holding shares in physical form:

As you may be aware that the shares cannot be traded in physical form and in order to impart liquidity to the shareholders, we request you to convert your shares into Dematerialised form. You may convert your shares into Demat by opening an Account with the nearest bank's branch providing Demat Service. The list of branches providing Demat services is available on website of the Bank. There are various advantages associated with converting your shareholding in Demat form viz. avoidance of loss, bad deliveries, faster settlements, paperless trading, etc. Further, intimations regarding change of address, bank mandate, nomination and request for transaction are required to be given only at one place i.e. with the branch, where you open your Demat Account even if you hold shares of more than one Company/entity.

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY:

As per Section 10B of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to the Unpaid Dividend Account is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof to the Bank. The shareholders, whose unclaimed dividends have been transferred to IEPF, may claim the same by making an online application to the IEPF Authority in web Form No. IEPF-5 available on www.iepf.gov.in.

11. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, 10th July, 2024 to Tuesday, 16th July, 2024** (both days inclusive).

12. VOTING RIGHTS:

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the AGM and vote on the Agenda either through remote e-voting or voting at the AGM, if voting right is not exercised through remote e-voting.

13. Cut Off / Record date for voting:

1. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. **Tuesday, 9th July, 2024, shall be eligible for voting on agenda item 1, 2, 3 & 5 and:**
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut – off Date i.e. **Friday, 14th June, 2024, shall be eligible for voting on agenda item 4.**

Subject to the restrictions under Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder other than Central Government who has been registered as a shareholder on the Specified/ Cut-off Date will be entitled to vote in the Election of Shareholder Director of the Bank and shall have one vote for each share held by him/her as on that Date. However, it may be noted that Central Government is not entitled to participate in the election of Director, but may attend the AGM as an observer.

14. REMOTE E-VOTING:

In compliance with Regulation 44(1) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and in compliance with SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, the Bank is pleased to offer remote e-voting facility as an alternative mode of voting which will enable the Members to cast their votes electronically. Necessary arrangements have been made by the Bank with **Link Intime India Pvt. Limited**, Registrar and Share Transfer agent of the Bank to facilitate remote e-voting.

Pursuant to SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on “e-voting facility provided by Listed Companies”, e-voting process has been enabled to all the individual demat account holders, by way of single login credential, through their demat accounts/websites of Depositories/ DPs to increase the efficiency of the voting process. Individual demat account holders would be able to cast their vote without having to register again with the e-voting service provider (“ESP”) thereby not only facilitating seamless authentication but also ease and convenience of participating in e-voting process. Shareholders are advised to update their mobile number and e-mail ID with their DPs to access e-voting facility.

The remote e-voting period begins on Friday, 12th July, 2024 at 10.00 AM and ends on Monday, 15th July, 2024 at 05.00 PM. The remote e-voting module shall be disabled by Link Intime India Pvt. Limited for voting thereafter.

The process and instructions for remote e-voting and login method for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below: :

Login for Individual shareholders holding securities in demat mode/ physical mode is given below :-

| Type of shareholders | Login Method |
|--|---|
| <p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL</p> | <ul style="list-style-type: none"> • If shareholder is already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsd.com either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under ‘IDeAS’ section. A new screen will open. Shareholder will have to enter your User ID and Password. • After successful authentication, Shareholder will be able to see e-Voting services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and shareholder will be re-directed to e-Voting service provider i.e. Link Intime website for casting of the vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. • If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsd.com. Select “Register Online for IDeAS “Portal or click at https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp • Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsd.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. Shareholder will have to enter their User ID (i.e. your sixteen digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, shareholder will be redirected to NSDL Depository site wherein he/she can see e-Voting page. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website i.e. https://instavote.linkintime.co.in for casting his/her vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. |

| Type of shareholders | Login Method |
|--|--|
| <p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Existing user of who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi. • After successful login of Easi / Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. Link Intime. Click on Link Intime name to cast your vote. • If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi./Registration/EasiRegistration • Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP where the E Voting is in progress. |
| <p>Individual Shareholders (holding securities in demat mode) & login through their depository participants</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Shareholder can also login using the login credentials of his/her demat account through their Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. • Once login, shareholder will be able to see e-Voting option. Once he/she click on e-Voting option, he/she will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein he/she can see e-Voting feature. Click on Bank name or Link Intime name and he/she will be redirected to e-Voting service provider website for casting their vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. |
| <p>Individual Shareholders holding securities in Physical mode.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Open the internet browser and launch the URL: https://instavote.linkintime.co.in <ul style="list-style-type: none"> ➤ Click on “Sign Up” under ‘SHARE HOLDER’ tab and register with your following details: - <ol style="list-style-type: none"> A. User ID: Shareholders/ members holding shares in physical form shall provide Event No + Folio Number registered with the Company. B. PAN: Enter your 10-digit Permanent Account Number (PAN) (Members who have not updated their PAN with the Depository Participant (DP)/ Company shall use the sequence number provided to you, if applicable. C. DOB/DOI: Enter the Date of Birth (DOB) / Date of Incorporation (DOI) (As recorded with your DP / Company - in DD/MM/YYYY format) D. Bank Account Number: Enter your Bank Account Number (last four digits), as recorded with your DP/Company. <ul style="list-style-type: none"> • Shareholders/ members holding shares in physical form but have not recorded 'C' and 'D', shall provide their Folio number in 'D' above <ul style="list-style-type: none"> ➤ Set the password of your choice (The password should contain minimum 8 characters, at least one special Character (@!#\$%&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter). ➤ Click “confirm” (Your password is now generated). 2. Click on 'Login' under ‘SHARE HOLDER’ tab. 3. Enter your User ID, Password and Image Verification (CAPTCHA) Code and click on ‘Submit’. 4. After successful login, you will be able to see the notification for e-voting. Select ‘View’ icon. 5. E-voting page will appear. 6. Refer the Resolution description and cast your vote by selecting your desired option ‘Favour / Against’ (If you wish to view the entire Resolution details, click on the ‘View Resolution’ file link). 7. After selecting the desired option i.e. Favour / Against, click on ‘Submit’. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on ‘Yes’, else to change your vote, click on 'No' and accordingly modify your vote. |

If Shareholders holding shares in Physical Form have forgotten password:

- Click on 'Login' under 'SHARE HOLDER' tab and further Click 'forgot password?'
- Enter User ID, select Mode and Enter Image Verification code (CAPTCHA). Click on "SUBMIT".

Incase shareholder is having valid email address, Password will be sent to the shareholder's registered e-mail address. Else, shareholder can set the password of his/her choice by providing the information about the particulars of the Security Question & Answer, PAN, DOB/ DOI, Dividend Bank Details etc. and confirm. (The password should contain minimum 8 characters, at least one special character (@!#\$%&*), at least one numeral, at least one alphabet and at least one capital letter)

NOTE:

For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for voting on the resolutions contained in this Notice.

It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL/ CDSL have forgotten the password:

Shareholders/ members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned depository/ depository participants website.

Cast your vote electronically

- After successful redirecting, you will be able to see the notification for e-voting on the home page of INSTA Vote. Select/ View "Event No" of the Bank, you choose to vote.
- On the voting page, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting. Cast your vote by selecting appropriate option i.e. Favour/Against as desired. Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/Against'. You may also choose the option 'Abstain' and the shares held will not be counted under 'Favour/Against'.
- If you wish to view the entire Resolution details, click on the 'View Resolutions' File Link.
- After selecting the appropriate option i.e. Favour/ Against as desired and you have decided to vote, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "YES", else to change

your vote, click on "NO" and accordingly modify your vote.

- Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.
- You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on "Print" option on the Voting page.

Guidelines for Institutional shareholders:

- Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to e-Voting system of LIPL: <https://instavote.linkintime.co.in> and register themselves as '**Custodian / Mutual Fund / Corporate Body**'.

They are also required to upload a scanned certified true copy of the board resolution / authority letter/power of attorney etc. together with attested specimen signature of the duly authorised representative(s) in PDF format in the '**Custodian / Mutual Fund / Corporate Body**' login for the Scrutinizer to verify the same.

General Guidelines for all shareholders:

- During the voting period, shareholders can login any number of time till they have voted on the resolution(s) for a particular "Event".
- Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each of the folios/demat account.
- Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode:

In case shareholders/ members holding securities in demat mode have any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL/ CDSL, they may contact the respective helpdesk given below:

| Login type | Helpdesk details |
|--|--|
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL | Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 |
| Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL | Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 or 22-23058542-43. |

- In case the shareholders/ members holding securities in physical mode/ Institutional shareholders have any queries or issues regarding e-voting, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Instavote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in>, under Help section or write an email to enotices@linkintime.co.in or Call us :- Tel : 022 - 49186000.

- Any person who becomes a member of the Bank after sending of the Notice of the Meeting vide e-mail and holding shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, 9th July, 2024 may obtain the User ID and password in the manner as mentioned herein above.
- A copy of this notice has been placed on the website of the Bank and also on the website of Link Intime India Pvt. Limited.

15. SCRUTINIZERS AT REMOTE E-VOTING / VOTING AT THE MEETING:

- **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO, Company Secretaries**, Thane has been appointed as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process in a fair and transparent manner.

16. RESULTS OF REMOTE EVOTING AND VOTING AT THE MEETING:

- The Scrutinizer shall within a period not exceeding two (2) working days from the conclusion of the e-voting period unblock the votes in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman.
- The Results declared alongwith the Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.centralbankofindia.co.in and on the website of Link Intime India Pvt. Limited within two (2) working days of passing of the resolution at the AGM of the Bank and communicated to the BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

17. Outcome of Meeting:

The resolution shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolutions.

18. Recorded Transcript/Proceeding of the Meeting:

Proceedings of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.centralbankofindia.co.in under Investor Relations section as soon as possible.

19. Instructions for e-voting and joining the Annual General Meeting are as follows:

a) Instructions for Shareholders/Members to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM:

Shareholders/Members are entitled to attend the Annual General Meeting through VC/OAVM provided by Link Intime India Pvt. Limited by

following the below mentioned process. Facility for joining the Annual General Meeting through VC/OAVM shall open 15 minutes before the time scheduled for the Annual General Meeting and will be available to the Members on first come first serve basis.

Shareholders/Members are requested to participate on first come first serve basis as participation through VC/OAVM is limited and will be closed on expiry of 15 (fifteen) minutes from the scheduled time of the Annual General Meeting. Shareholders/Members with >2% shareholding, Promoters, Institutional Investors, Directors, KMPs, Chair Persons of Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee and Auditors etc. may be allowed to the meeting without restrictions of first-come-first serve basis. Members can log in and join 15 (fifteen) minutes prior to the schedule time of the meeting and window for joining shall be kept open till the expiry of 15 (fifteen) minutes after the schedule time. Participation is restricted upto 2500 members only.

Shareholders/ Members will be provided with InstaMeet facility for attending the AGM through VC/OAVM wherein Shareholders/ Member shall register their details and attend the Annual General Meeting as under:

1. Open the internet browser and launch the URL for InstaMeet <<<https://instameet.linkintime.co.in>>>

Click on "Login", Select the "Company" and 'Event Date' and register with your following details: -

- a. DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio No.: Enter your 16 digit DP ID / Client ID or Beneficiary ID or Folio Number registered with the Bank
- b. PAN: Enter your 10 digit Permanent Account Number (PAN)
- c. Mobile No.
- d. Email ID

2. Click "Go to Meeting" (You are now registered for InstaMeet, and your attendance is marked for the meeting).

Note:

Shareholders/ Members are encouraged to join the Meeting through Tablets/ Laptops connected through broadband for better experience.

Shareholders/ Members are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

Please note that Shareholders/Members connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptops connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Visual loss due to fluctuation in their network. It is therefore recommended to use stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6175.

b) Instructions for Shareholders/Members to register themselves as Speakers during Annual General Meeting:

Shareholders/ Members who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail: investors@centralbank.co.in from 3rd July, 2024 at 10.00 am to 11th July, 2024 at 5.00 pm.

The Speakers on first come basis will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

Shareholders will receive "speaking serial number" once they mark attendance for the meeting. Other shareholder may ask questions to the panelist, via active chat-board during the meeting. Shareholders are requested to remember speaking serial number and start conversation with panelist by switching on video mode and audio of the device. Shareholders are requested to speak only when moderator of the meeting/ management will announce the name and serial number for speaking.

Shareholders/ Members, who would like to ask questions, may send their questions in advance mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at e-mail: agmcompsec@centralbank.co.in/investors@centralbank.co.in The same will be replied by the Bank suitably.

Note:

Those shareholders/members who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting. The Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the Annual General Meeting.

Shareholders/ Members should allow to use camera and are required to use Internet with a good speed (preferably 2 MBPS download stream) to avoid any disturbance during the meeting.

c) Instructions for Shareholders/Members to Vote during the Annual General Meeting through InstaMeet:

Once the electronic voting is activated by the scrutinizer during the meeting, shareholders/ members who have not exercised their vote through the remote e-voting can cast the vote as under:

- i. On the Shareholders VC page, click on the link for e-Voting "Cast your vote".
- ii. Enter Demat Account No. / Folio No. and OTP (received on the registered mobile number/ registered email Id) received during registration for InstaMeet and click on 'Submit'.
- iii. After successful login, you will see "Resolution Description" and against the same the option "Favour/ Against" for voting.
- iv. Cast your vote by selecting appropriate option i.e. "Favour/Against" as desired. Enter the number of shares (which represents no. of votes) as on the cut-off date under 'Favour/ Against'.
- v. After selecting the appropriate option i.e. Favour/Against as desired and you have decided to vote, click on "Save". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "Confirm", else to change your vote, click on "Back" and accordingly modify your vote.
- vi. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify or change your vote subsequently.

Note:

Shareholders/ Members, who will be present in the Annual General Meeting through VC/OAVM by InstaMeet facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting facility during the meeting.

Shareholders/ Members who have voted through Remote e-Voting prior to the Annual General Meeting will be eligible to attend/participate in the Annual General Meeting through InstaMeet. However, they will not be eligible to vote again during the meeting.

In case the shareholders/members have any queries or issues regarding e-voting, you can write an email to instameet@linkintime.co.in or Call at Telephone no. 022-4918 6175.

EXPLANATORY STATEMENT

Agenda Item No. 2

To approve the appointment of Smt. Charulatha S. Kar as RBI Nominee Director on the Board of the Bank.

In exercise of powers under clause (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government, vide its Notification Ref eF.No.6/3/2011-BO.I dated 14th July, 2023 has appointed Smt. Charulatha S. Kar as the RBI Nominee Director on the Board of Bank with effect from 14.07.2023 and until further orders.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Smt. Charulatha S. Kar as the RBI Nominee Director on the Board of the Bank.

Brief profile of Smt. Charulatha S. Kar in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter:

| | |
|--|---|
| Name | Ms Charulatha S Kar |
| DIN | Not Applicable |
| Age | 57 |
| Nationality | Indian |
| Date of Appointment | 14th July, 2023 |
| Education Qualifications | B. Com and Post Graduate Diploma in Treasury and Forex |
| Brief resume including expertise in specific functional areas | <p>Smt. Charulatha S. Kar holds a Master's Degree in Commerce from the University of Mumbai specializing in Banking and Finance. She has done post-graduate Diploma in Treasury and Forex Management from the ICFAI, Tripura. She is also a Certified Associate of the IIB&F.</p> <p>She has also completed the Advanced Management Program at The Wharton School, University of Pennsylvania, USA as part of the Leadership and Executive Education Programme of the RBI.</p> <p>She joined RBI as an officer in 1991 and has worked in various RBI Regional and Central offices at Ahmedabad, Chennai and Mumbai. She is currently the Chief General Manager-in-Charge of the Human Resources Dept. including central security cell of Reserve Bank of India (RBI).</p> <p>Her areas of expertise include government Banking, internal financial accounts, information technology and payment and settlement systems. She has been a Member of Faculty in the RBI Training College at Chennai for over five years. She has also been on deputation to the Training institute of the Central Bank of Oman at Muscat for two years.</p> <p>She has represented the RBI in International Working Groups of the Committee on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements which studied and published reports on Innovations in Retail Payments, Role of Non-banks in Retail Payments and Fast Payments. She has also represented RBI as a speaker and resource person many domestic and international forums / seminars and workshops.</p> |
| Directorships held in other companies | Nil |
| Memberships / Chairmanships of committees of other companies | Nil |
| Disclosure of relationships between Directors inter-se | No relationship per se. |
| Listed entities from which the Director has resigned in the past three years | Nil |

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and remuneration drawn by the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Integrated Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 3

To approve the appointment of Shri Mahendra Dohare as Executive Director on the Board of the Bank.

In exercise of powers under clause (a) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government vide its notification No.eF.No.4/1(x)/2023-BO.I dated 09th October, 2023 has appointed Shri Mahendra Dohare as Executive Director on the Board of the Bank, for a period of three years with effect from the date of assumption of office, i.e. from 09.10.2023 or until further orders, whichever is earlier.

Pursuant to Regulation 17(1C) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Bank shall ensure that the approval of the shareholders for appointment or re-appointment of a person on the Board of Directors or as a Manager is taken at the next general meeting. Accordingly, approval of shareholders is required in the AGM for appointment of Shri Mahendra Dohare as Executive Director on the Board of the Bank.

Brief profile of Shri Mahendra Dohare in terms of Regulation 36 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with para 1.2.5 of the Secretarial Standard No. 2 on General Meetings has been given in this Explanatory Statement hereinafter.

| | |
|--|---|
| Name | Shri Mahendra Dohare |
| DIN | 09406117 |
| Age | 53 |
| Nationality | Indian |
| Date of Appointment | 09th October, 2023 |
| Education Qualifications | MBA in Banking and Finance |
| Brief resume including expertise in specific functional areas | <p>Shri Mahendra Dohare has been appointed as Executive Director of Central Bank of India with effect from 09.10.2023.</p> <p>Shri Mahendra Dohare is a MBA in Marketing & Finance. He is a certified Associate of Indian Institute of Bankers. He also holds diploma in computer application and various certification from IIBF. He is also NET qualified. Before his elevation to this current position, he was Chief General Manager of Punjab National Bank. His last posting in Punjab National Bank was head of Business Acquisition & Relationship Management Division.</p> <p>He began his career as a Probationary officer with Corporation Bank and subsequently moved to United Bank of India which was merged with Punjab National Bank. He is having rich experience of professional Banking of more than 24 years. As CGM of PNB, he was Leading & Playing an instrumental role in setting up a unified retail division (Business Acquisition & Relationship Management) to drive business.</p> <p>He also held position as a Director on the Board of PNB Cards & Services Limited and Tripura Gramin Bank.</p> |
| Directorships held in other companies | Nil |
| Memberships / Chairmanships of committees of other companies | Nil |
| Disclosure of relationships between Directors inter-se | No relationship per se. |
| Listed entities from which the Director has resigned in the past three years | Nil |

For other details such as number of meetings attended during the year, number of equity shares held and remuneration drawn by the Director, please refer to the Corporate Governance Report in the Annual Report.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Agenda Item No. 4

ELECTION OF ONE SHAREHOLDER DIRECTOR

- i. As per Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, where the capital issued under clause (c) of sub section 2B of Section 3 is less than sixteen per cent of the total paid up capital of the Bank, the Board of Bank should have one Director duly elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves.
- ii. As per the above guidelines, the Bank is entitled to have one Director, elected from amongst Shareholders, other than the Central Government. At present, Bank is having one Shareholder Director on the Board. The term of Shri Dinesh Pangtey, Shareholder Director of the Bank will end on 30th June, 2024.
- iii. The Board at its meeting held on 30th April, 2024 has approved to conduct the election to fill in this vacancy of One Shareholder Director on the Board of the Bank that will arise w.e.f 01st July, 2024.
- iv. The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Acts / Scheme /Regulations / Notification /Directions from the Central Government/ RBI. Upon receipt of nomination of candidature duly filled in all respect, scrutiny of nomination will be completed by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulations / Notifications applicable in this regard:

| ACT / REGULATIONS NOTIFICATIONS | SCHEME/ PROVISIONS / | SHORT PARTICULARS |
|--|---|---|
| The Banking Regulation Act, 1949 | Section 5 Section 16 (1) Section 20 Section 51 | <ul style="list-style-type: none"> • Substantial Interest. • Prohibition of Common Directors. • Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors. • Applicability of certain sections of Act to a corresponding new Bank. |
| The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 | Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9 (3A) (A)to(C) Section 9 (3AA) Section 9 (3AB) Section 9 (3B) Section 13(2) | <ul style="list-style-type: none"> • Restriction on voting rights. • No. of directors to be elected by the shareholders. • Special Knowledge in certain fields. • No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. • RBI may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto. • Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Sections 9 (3A) and 9(3AA) of the said Act. • Obligation as to fidelity and secrecy. |

| ACT / REGULATIONS NOTIFICATIONS | SCHEME/ PROVISIONS / | SHORT PARTICULARS |
|--|--|--|
| The Nationalised Banks (Management Miscellaneous Scheme, 1970) | Clause 9 (4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12 (8) | <ul style="list-style-type: none"> • Term of office of elected directors • Disqualifications from being elected as a Director of the bank • Vacation of office of Directors • Removal from office of an elected Director • Filling of Casual vacancy in the office of an elected Director • Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested |
| Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 | Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69 Regulation 70 | <ul style="list-style-type: none"> • Exercise of rights of joint holders • Voting at General Meetings • Directors to be elected at general meetings • List of Shareholders • Nomination of candidates for election • Scrutiny of nominations • Election disputes • Determination of voting rights • Voting by duly authorized representative • Proxies |
| RBI Master Direction DBR. APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 as updated | Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 | <ul style="list-style-type: none"> • Fit and Proper criteria for elected directors on the boards of nationalized banks |
| Letter dated 3rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I.dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 and subsequent amendments there to, if any | | Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-Official Director (NOD) in Public Sector Banks |
| RBI Master Circular DBR. No. Dir. BC. 10/13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015 as updated | | Granting loans and advances to relatives of Directors |
| SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 | | Provisions relating to Independent Director |

For the convenience of the Shareholders, the relevant extracts from The Acts, The Regulation Act, The Scheme / The Regulations as well as RBI Master Direction DBR. APPT.No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 as updated and GOI Guidelines dated March 25, 2015 and July 20, 2016 will be hosted on the Bank's website i.e. www.centralbankofindia.co.in which can be viewed / downloaded by the user. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Central Bank of India at its Central Office at investors@centralbank.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz., **Monday, 01st July, 2024 by 05.00 pm.**

PARTICIPATION IN ELECTION:

Those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Specified / **Cut off Date i.e., Friday, 14th June, 2024** shall be entitled to participate i.e., Nominate, Contest and Vote in election of one Director from amongst Shareholders, other than the Central Government. It may be noted that, Central Government is not entitled to participate in the agenda non.4 i.e. Election of Director, but may attend the AGM as an Observer.

• QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9(3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the Regulations, are detailed herein:

- (a) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank shall -
- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely,-
- i) agricultural and rural economy,
 - ii) banking,
 - iii) co-operation,
 - iv) economics,
 - v) finance,
 - vi) law,
 - vii) small scale industry,
 - viii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India, be useful to the Bank; (RBI vide its circular no.DBR.Appt.

BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

- (B) represent the interests of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.
- (b) In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notification, a candidate being a shareholder of the Bank and who files nominations to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.
- (c) Further, the elected director should execute the Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

• DISQUALIFICATION FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being, a director -
- (a) if he/she has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - (b) if he/she has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or
 - (c) if he/ she has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
 - (d) If he/she holds any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

and

(B) In terms of Notifications of Reserve Bank of India - RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR. APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 as updated, and Government of India guidelines no. F.No.16/51/2012- BO.I. Dated 28th April 2015 and dated 20th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013, if he/she is not found to be 'Fit & Proper' person, by the Nomination and Remuneration Committee / Board of Directors of the Bank.

• **LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS:**

A list of Shareholders of the Bank as on **Friday, 14th June, 2024** will be available for shareholders of Bank from **Tuesday, 18th June, 2024** onwards on payment of **Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only)** by Demand draft in favour of "Central Bank of India" payable at Mumbai alongwith a request addressed to the Assistant General Manager - Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai – 400 021 with an undertaking that the list will be used only for canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever. The intending candidates may also inspect the List of Shareholders and take extracts there from.

• **INSPECTION OF REGISTER OF SHAREHOLDERS:**

The Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office of the Bank from Monday to Saturday between 11 A.M. to 3 P.M. (other than second & fourth Saturday and Bank Holidays). If any shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs. 5/- for 1000 words or fractional part thereof required to be copied.

• **Participation in Election:**

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Members/Beneficial owners as furnished by NSDL/ CDSL/RTA as on **Friday, 14th June, 2024** shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

• **NOMINATIONS:**

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India- RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR.APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 as updated and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director will be valid provided:

(a) he/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank as on Friday,

14th June, 2024 being the Specified Date for participating in the election;

- (b) as on Monday, 01st July, 2024 (the last date for receipt of nominations), he/she is not disqualified to be a director under the Act, the Scheme or RBI Notification;
- (c) the nomination is in writing signed by atleast one hundred Shareholders of Bank to elect directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Central Office of the Bank addressed to Assistant General Manager – Company Secretary, Central Bank of India, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 and such copy shall be deemed to be nomination on behalf of such company;
- (d) the nomination by the shareholders of Bank (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he/she is not disqualified from being a director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations or the RBI Notification alongwith his/her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- (e) the Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the Regulations and as per the Proforma annexed .

• **SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:**

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors should submit

- a) duly filled in Declaration Form;
- b) nominations from minimum of 100 shareholders of Bank entitled to participate in the elections;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the concerned documents, testimonials, viz., Bio data, Certificates of

Educational qualification, experience, etc. in the formats annexed to this notice, in a sealed envelope superscribing thereon "Central Bank of India Election of Director – July 2024" in person or through Regd. Post / Courier addressed to the Assistant General Manager –Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021, together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e. on or before closing hours of the Bank at 5.00 pm on **Monday, 1st July, 2024.**

• **SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:**

- a) Nominations shall be scrutinized on **Tuesday, 2nd July, 2024**, the next working day following the date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons thereof.
- b) Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / Board of Directors as the case may be, in terms of RBI/GOI and other applicable guidelines. As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.
- c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination and Remuneration Committee of the Board / the Board of Directors seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature
- d) If there is only ONE valid nomination for the ONE vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be proposed by way of a Resolution pursuant to Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations read with Section 9(3)(i) of the Banking Companies Act at the AGM, wherein only shareholders other than the Central Government shall be entitled to vote. The candidate shall be declared elected, if and only if, the said Resolution is passed with majority. The newly elected director will assume office from Thursday, 17th July, 2024 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption.
- e) If the valid nominations are more than ONE, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and candidate having the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and their names will

be announced by the Chairman of the AGM and also published in newspapers. The candidate so elected will assume office as Director of Bank on 17th July, 2024.

- f) If there is any dispute, the same shall be settled as per Regulation 67 of the Central Bank of India (Share and Meetings) Regulations, 1998.

WITHDRAWAL OF NOMINATIONS:

If any candidate desires to withdraw his /her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank on or before 4.00 pm, Wednesday, 10th July, 2024 by sending a signed letter addressed to the Assistant General Manager – Company Secretary, Central Bank of India, Central Office, 9th Floor, Chandermukhi, Nariman Point, Mumbai 400 021 or soft copy of signed letter over e-mail at agmcompsec@centralbank.co.in / boardsecretary@centralbank.co.in

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolution, except to the extent of their shareholding in the Bank.

Item No.5

To consider raising of Equity capital aggregate upto Rs.5000/ crore through various modes like QIP/FPO/ Right issue.

As per Basel III regulations, the Bank is required to maintain minimum Common Equity Tier-1 (CET 1) ratio of 5.50% plus Capital Conservation Buffer (CCB) of 2.50% in the form of equity capital, Tier 1 ratio of 9.50% and overall CRAR of 11.50%. The Bank will be requiring capital to meet the prescribed capital adequacy ratio (CRAR). The CRAR of the Bank as on 31st March, 2024 is 15.08% (Tier I – 12.46% (includes CCB), Tier II – 2.62 %).

Keeping in view of increase in Business projection of 10%-12%, to maintain health CRAR in F.Y. 2024-25 and to increase public shareholding in Bank, Bank has decided to raise the equity capital aggregate upto Rs.5000 Crore through various modes like QIP/FPO/Rights issue. These options will be exercised by the Bank as per the requirement and based on the prevailing market conditions.

The said equity capital will be raised with due approvals from the Government of India, Reserve Bank of India and such other authorities as laid down in The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 and subject to the relevant guidelines / regulations of SEBI.

The Board of Directors at their meeting held on 30th April, 2024 had given their approval to raise an capital upto Rs.5000/- crore through the different available options.

The Capital Adequacy Ratio of the Bank as on 31st March, 2024 is 15.08%. The Authorized Capital of the Bank is, at present, Rs.10000/- crore. The Paid up Equity Share capital of the Bank as on 31st March, 2024 is Rs. 8680.93 Crore.

The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as the Board in its absolute discretion deems fit. The detailed terms and conditions for the issuance of the equity shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors.

In the event of the issue of equity shares as aforesaid by way of Qualified Institutions Placements, it will be ensured that:

- The relevant date for the purpose of pricing of the Equity Shares would be, pursuant to Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations and/or other applicable regulations, be the date of the meeting in which the Board or the Capital Raising Committee thereof decides to open the proposed issue of the equity shares, subsequent to the receipt of Members' approval and other applicable provisions, if any of the Act and other applicable laws, rules, regulations and guidelines in relation to the proposed issue of equity shares;
- As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI ICDR Regulations, the Banking Companies (Acquisition and

Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations 1998, as amended from time to time or any other guidelines/regulations/consents as may be applicable or required

- The issue and allotment of fully paid shares shall be made only to Qualified Institutional Buyers (QIBs) within the meaning of SEBI (ICDR) Regulations and the allotment shall be completed within 365 days of the date of passing the above Resolution;
- The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other Regulatory requirements.
- The total amount raised in such manner, including the over allotment, if any as per the terms of the issue of securities, would not exceed 5 times of the Bank's net worth as per the audited Balance Sheet of the previous financial year;
- The eligible securities allotted under the qualified institutions placement shall not be sold by the allottee for a period of one year from the date of allotment except on recognised Stock exchange.
- The Bank, its Promoter or Directors is not a fugitive economic offender.
- The equity shares allotted, shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank including dividend

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors / Key Managerial Persons of the Bank is interested or concerned in the aforementioned resolutions, except to the extent of their shareholding in the Bank.

BY ORDER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Date: 04th June, 2024

Place: Mumbai

(Chandrakant Bhagwat)
 Company Secretary &
 Compliance Officer

DECLARATION (BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, Shri/Smt _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____
_____, residing at _____
_____ hereby confirm that:

- a. I am a shareholder holding _____ equity shares of Rs.10/- each (fully paid up) of CENTRAL BANK OF INDIA under Folio No. _____/DP ID No. _____/Client ID No. _____ as on Friday, 14th June, 2024 being the Cutt-off/Specified Date for participating in the Elections and
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii)Co-operation, (iv)Economics, (v)Finance, (vi)Law, (vii)Small Scale Industry, or any other matter the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank and I represent the interest of Depositors / Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials, and
- c. I accept the nominations numbered from _____ to _____, and
- d. I am willing to contest the election for Director of Central Bank of India, and
- e. I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 , the Central Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, RBI Notifications and GOI Guidelines issued in this regard.
- f. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
- g. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and
- h. I am not disqualified under section 164 of the Companies Act, 2013; and
- i. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- j. I further declare that :
 - i. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
 - ii. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and
 - iii. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
 - iv. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
 - v. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
 - vi. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/ RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently
 - vii. I am not engaging in the business of stock broking.
 - viii. I am not holding the position of a Member of Parliament or State legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram

Sabha, Zila Parishad, etc.)

- ix. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalized bank or State Bank of India.
- x. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Central Bank of India.
- xi. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Central Bank of India nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Central Bank of India.
- xii. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- xiii. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- k. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;
- l. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank;
- m. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- n. I enclose my personal Information details which are to the best of my knowledge and belief are true and complete in all respects.

| | |
|--|--|
| Name | |
| Signature | |
| No. of Shares | |
| Regd. Folio No. (If not Dematerialised) | |
| DP ID No. and Client ID No. (If Dematerialised) | |
| Place | |
| Date | |

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and _____

Name of the attesting official _____

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or any Nationlised Bank.

* Tick whichever is applicable.

NOMINATION FORM (BY THE SHAREHOLDER)

(Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

| |
|--------|
| Sl.No. |
|--------|

To,
The Managing Director and Chief Executive Officer
Central Bank of India
Central Office,
Chandermukhi, Nariman Point,
Mumbai 400021

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated _____ 2024, I, Shri/Smt _____ a shareholder of Central Bank of India, holding _____ equity shares of Rs. 10/- each (fully paid up) as on **Friday, 14th June, 2024** being the Cutt-off/Specified Date for the purpose of participation in the election, do hereby nominate Shri/Smt. _____ son/daughter/wife of Shri/Smt. _____ residing at _____ for being elected as a Director of Central Bank of India representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Annual General Meeting of the shareholders to be held on **Tuesday, 16th July, 2024**.

| | |
|--|--|
| Name | |
| Signature | |
| No. of Shares | |
| Regd. Folio No. (If not Dematerialised) | |
| DP ID No. and Client ID No. (If Dematerialised) | |
| Place | |
| Date | |

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidate should match with the specimen signatures available with the Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



Affix Self
Attested Passport
Size Photo here

FORMAT FOR PROVIDING PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING
Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2024

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2024

| I. Personal details of the candidate | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1. Name in Full (in block capital letters) | First Name Middle Name Last Name | | | | | | | | |
| 2. Father's Name (in Full) | | | | | | | | | |
| 3. Gender (M/F/others) | | | | | | | | | |
| 4. Present Address (For correspondence) | | | | | | | | | |
| 5. E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number: | | | | | | | | | |
| 6. Nationality | | | | | | | | | |
| 7. Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age | | | | | | | | | |
| 8. Education qualification | | | | | | | | | |
| 9. Director Identification Number (DIN) | | | | | | | | | |
| 10. Aadhaar Number | | | | | | | | | |
| 11. a) Permanent Account Number (PAN). b) Name and address of Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed. c) Details of filing of return(s) and payment of taxed for past 3 years. | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Date of filing</th> <th style="width: 60%;">Amount of tax paid (INR)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | Date of filing | Amount of tax paid (INR) | | | | | | |
| Date of filing | Amount of tax paid (INR) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 12. Permanent Address | | | | | | | | | |
| 13. Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company. | | | | | | | | | |
| 14. Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience) | | | | | | | | | |
| 15. Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc. | | | | | | | | | |



16. In case a Chartered Accountant, indicate the following:
- Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):
 - Date of registration with the ICAI:
 - Name and Address of the registered firm/s:
 - Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:

17. Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/current/loan accounts) where you are a primary account holder:

| Bank Name | Branch | Type of A/c | A/c Number |
|-----------|--------|-------------|------------|
| | | | |

18. Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)

19. Any other information relevant to directorship of the bank:

II. Relevant Relationships of proposed director

20. List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:

21. List of entities in which:
- interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]:
 - beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]:
 - Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):

22. List of entities, existing and proposed, in which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)4 of the Banking Regulation Act, 1949.

| | |
|---|--|
| Name of the Company/firm | |
| Country of incorporation | |
| Number of shares | |
| Face Value of each share | |
| Total face value of share holding | |
| Shareholding as % of total Paid up Capital | |
| Beneficial interest (in value as well as % terms) | |
| Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013 | |

23. Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.

24. Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).

25. If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.

26. If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.

-
27. Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.
-
28. Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities obtained from a bank/NBFC/any other lending institution.
-

III. Records of professional achievements

29. Professional achievements relevant for the directorship.
-

IV. Proceedings, if any, against the proposed director

30. a) As a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any profession/ occupation at any time, details thereof.
-
- b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof.
-
31. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.
-
32. Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction.
-
33. If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.
-
34. If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.
-
35. If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.
-
36. If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.
-
37. a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof
-
- b) If convicted by any Court of law, details thereof?
-
38. If holding any office of profit under any nationalised bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.
-
39. If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.
-
40. If found guilty of violation of rules/ regulations/ legislative requirements by customs/ excise/ income tax/ foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.
-
41. If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organisation, government agency, or court because of professional conduct or activities, details thereof. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).
-



V. General Information

42. If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.

43. If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.

VI. In the interest of disclosure and transparency, should there be **any other information relevant for assessing 'fit and proper', provide details thereof.**

Undertaking

I, Son/Daughter of Shri
..... confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my election as a shareholder director of the bank, which are relevant to the information provided above. I also undertake to execute the deed of Covenant required to be executed by the directors of the bank.

Place :

Date :

Signature of the Candidate

Enclosures :

- Note:
1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexure in chronological order and with appropriate cross reference.
 2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observations of the Nomination and Remuneration Committee / Board of Directors

Signature of the Chair of the NRC/ Board of Directors

Date:

Place: